ब्रिटिश सरकार

और

भारत का समझौता

[स्वराज्य-संग्राम की कहानी]

लेखक

गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' बी० ए०

केशवकुमार ठाकुर

प्रकाशक

अरुणोदय कार्यालय,

दारागंज, प्रयाग।

द्वितीय संस्करण } १९३१ { अजिल्द ॥)
सजिल्द ॥)

विषय-तालिका

विषय	पृष्ठ
१—स्वराज-आन्दोलन का इतिहास	९-२१
२—स्वराज-सत्याग्रह के सम्बन्ध में बड़े लाट के नाम महात्मा जी का पत्र	२२-४२
३—गोलमेज़ परिषद् में महात्मा जी आदि को ले चलने के लिए श्री सप्रू और जयकर की कोशिश	४३-१४१
४—विलायत में गोल मेज़ परिषद्	१४२-१५१
५—गान्धी-इरविन सन्धि	१५२-१६१

भारतीय इतिहास पर एक दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि अँगरेज़ों ने भारतवर्ष को तलवार के बल से नहीं जीता। मुग़लों का प्रताप-सूर्य्य जिस समय अपने सम्पूर्ण तेज के साथ चमक रहा था उस समय वे साधारण व्यापारियों की भाँति इस देश में कृपा और करुणा के प्रार्थी होकर आये। यदि औरंगज़ेब ने हिन्दुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार न किया होता, उसने उनके साधारण अधिकारों को निर्दयता के साथ कुचला न होता तो शायद न भारतवर्ष में वह अशान्ति मचती जो बाद को मची और न अँगरेज़ों को पैर पसारने का मौक़ा मिलता। संयोग की बात, उस समय अँगरेज़ जहां गये वहां अपने साथ शान्ति भी ले गये। हिन्दुस्थानियों को अँगरेज़ों के साथ हार्दिक सहानुभूति हो गयी। उसी सहानुभूति और नैतिक सहायता से अंगरेज़ भारतवर्ष में अपने साम्राज्य की स्थापना कर सके।

एक अंगरेज़ी कहावत है कि प्रेम में और लड़ाई में सभी उचित है। साम्राज्य-स्थापना के अनन्तर अँगरेज़ों ने धनापहरण करने की जो पालिश की हुई नीति चलाई उसे हिन्दुस्थान उस अवस्था में अनुचित न समझता जब कि वह सब धन, जो यहां से इंग्लैंड पहुँचाया गया, इंग्लैण्ड-वासियों की साधारण मानवी अवश्यकताओं पूर्ति के लिए काम में लाया जाता। प्रेम में कोई भी पक्ष एक दूसरे को कष्ट में नहीं देखना चाहता और भारतवर्ष नंगा और भूखा रह कर भी शीतप्रधान इंग्लैण्ड को

वस्त्रों से अच्छादित और भरपेट भोजन से सन्तुष्ट रखने की कोशिश कर सकता था। किन्तु जब हिन्दुस्तान का कपड़े का व्यापार इसलिए नष्ट किया गया कि इंग्लैण्ड के व्यापारी न केवल भोजन करें, बलिक तोंद फुलावें तब यह समझ पड़ने लगा कि यह प्रेम का मामला नहीं है, चालाकी का घृणित काण्ड है। नशीली चीज़ों पर लाइसेंस लगाकर उसकी आमदनी से शिक्षा का कार्य चलाना और फिर यह डींग हाँकना कि हम भारतवर्ष को शिक्षित बना रहे हैं; भारतवर्ष की लगान की पूरी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अँगरेज़ी फ़ौजों के मद् में डाल देना और यह बड़े गर्व के साथ कहना कि सीमा प्रान्त वाले उपद्रवियों से भारत की रक्षा करने के लिए यह करना बहुत ज़रूरी है—आदि सैकड़ों ऐसी बातें समझ में आगयीं जिनसे ब्रिटिश शासन का सच्चा स्वरूप भारतीयों की आँखों के सामने आगया। परन्तु फिर भी भारत-वासियों ने अँगरेज़ों के प्रति सर्वथा अश्रद्धा नहीं प्रकट की। वे शान्तिपूर्वक सत्यका पक्ष अधिकारियों के सामने रखते गये। लेकिन अधिकारियों ने सदैव उनकी अवज्ञा की, भारतवर्ष के बड़े से बड़े नेताओं को उन्होंने अपमानित किया।

सत्य के पक्ष को केवल प्रस्तुत कर देने ही से काम नहीं चल सकता। राउलट ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह घोषणा के पहले भारत के प्रतिष्ठित नेता सत्य बात को कहते अवश्य थे, किन्तु उनके पास कोई अस्त्र न था। यह अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र कहना चाहिए, महात्मा गांधी ने उनके हाथों में रख दिया। जिस क़ानून के द्वारा हम शासित किये जाते हैं वह जब हमारे ऊपर ज़बर्दस्ती लादा जाता है और जब उसके बनाये जाने में भी

सदिच्छा का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, तब उसकी अवज्ञा करना तो कभी कभी मनुष्य के लिए धर्म और कर्तव्य हो सकता है—यही सत्याग्रह का मूल सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का अनुगामी उस अवस्था में निरंकुश शासन-पद्धति के लिए अत्यन्त भयंकर हो जाता है जब वह पूर्ण सहयोग करते रहने के बाद भी निराश किया जाता है और समस्त नैतिक बल संचय कर के जब वह उक्त शासन-पद्धति के आधारभूत क़ानूनों को तोड़ने में लग जाता है। भारतवर्ष इतने बड़े समाज के भीतर यदि एक भी ऐसा सच्चा सत्याग्रही उपस्थित हो जो अन्याय की अपेक्षा कष्ट सहना ही उचित समझे और शासन-पद्धति के विरुद्ध खड़ा हो जाय तो वह अजेय है, क्योंकि अपने कष्ट-सहन के द्वारा वह समस्त मानव-जगत में जिस सहानुभूति का संचार करता है वह हवाई जहाजों से बम गिरा कर नष्ट नहीं की जा सकती, उसका सम्बन्ध तो मनुष्य के हृदय के भीतर बैठे हुए ईश्वर से है, जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ज्यों का त्यों रहता है, जो सत्य को आशीर्वाद और असत्य को शाप देता है, जो सच्चे को जिलाता और झूठे को मार डालता है। महात्मा गांधी के कष्टसहन से यदि देश में इतनी बड़ी जागृति होगई है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अन्य नेताओं के निष्क्रिय सत्याग्रह ने जो काम अनेक वर्षों में नहीं कर पाया उसे महात्मा गांधी के सक्रिय सत्याग्रह ने नौ महीनों में संभव कर दिया—इस समझाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्कता नहीं है। हमारा तो मत है कि सरकार सत्याग्रह के विरुद्ध कुछ भी क्यों न कहे; नरमदल के नेतागण उसे कितना ही निन्द्य क्यों न बतावें, किन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि लन्दन की गोलमेज़ परिषद् में भी इंगलैंड के राजनीतिज्ञों ने जो कुछ अधिकार देने

के प्रस्ताव किये वे नरमदल वालों की प्रार्थना से द्रवीभूत हो कर नहीं किये गये, बल्कि सत्याग्रहियों ने जो अपार कष्ट उठाया है उसी को ध्यान में रख कर तथा यह सोच कर कि उनको सहानुभूति के बिना शासन करना कठिन हो जायगा, वे आज प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हीं को सन्तुष्ट करने के लिए और भी किये जाते रहेंगे। तपस्या, कष्ट सहन आदि का फल मिलता है, यह प्रकृति का नियम है।

अब प्रश्न यह है कि समझौता कैसा होना चाहिए। इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए पाठकों के सामने सब से पहले यह सब बातें रख देना चाहते हैं जो भारतवर्ष को सन्तुष्ट रखने के लिए समय समय पर ब्रिटिश सरकार की ओर से होती रही हैं। स्वराज्य-सत्याग्रह की पूरी कहानी को समझाने के लिए ही नहीं बल्कि समझौते का स्वरूप क्या होगा, और क्या होना चाहिए यह भी जानने के लिए सन् १८०६ ई० से लेकर आज तक इंगलैंण्ड और भारतवर्ष के बीच में क्या क्या हुआ है इन सब बातों से परिचित हो जाने की ज़रूरत है।

इस सम्पूर्ण सामग्री को हम पाठकों के सम्मुख तीन खण्डों में रक्खेंगे। प्रथम खण्ड में सन् १९०६ से ले कर १२ जुलाई सन् १९३० तक की बातों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। द्वितीय

खण्ड में १३ जुलाई सन् १९३० के बाद सत्याग्रह छिड़ने तथा देश में अशान्ति मंच जाने पर सर सप्रू और मिस्टर जैकर ने कांग्रेस नेताओं तथा सरकार के बीच समझौता कराने का जिस प्रकार उद्योग किया वह सब लिखा गया है। इस खण्ड में पाठकों को महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, पं० मोती लाल नेहरू आदि के पत्र पढ़ने को मिलेंगे जिनसे समझौता कैसा होना चाहिए, यह सब समझने में बहुत सुविधा होगी। यह खण्ड कुछ विस्तार-पूर्ण है, क्योंकि इसमें उस अन्धकारपूर्ण समय की घटनाओं का वर्णन है जब हिन्दी के समस्त राष्ट्रीय पत्र सरकारी आर्डिनेन्सों का शेल लगने से मूर्च्छित हो गये थे। तीसरे खण्ड में लार्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में जो अस्थायी सन्धि हुई है उसका वर्णन है। इस प्रकार हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक का आद्योपान्त पढ़ डालने से हिन्दी के एक साधारण पाठक को भी देश की समस्याओं का ज्ञान हो जायगा.

यदि यह पुस्तक हिन्दी पाठकों की दृष्टि में उपयोगी सिद्ध हुई तो इसके लेखक और प्रकाशक अपना श्रम सफल समझेंगे। यदि कोई सज्जन इसमें किसी त्रुटि का पता पावें तो वे कृपा कर के लेखकों को सूचना दें। द्वितीय संस्करण में हम उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

गिरिजादत्त शुक्ल

केशवकुमार ठाकुर

ब्रिटिश सरकार और भारत का समझौता।

कांग्रेस के प्रधान कार्यकर्त्ता और अधिकारी इस समय जेलों में बंद हैं। हम लोगों ने इसके सम्बन्ध में जो कुछ किया वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर। इसलिये हमारी शर्तों और उपस्थित की गई बातों में कदाचित् कुछ भूलें हो गई हों। ऐसी अवस्था में इस समय जिनके हाथों में कांग्रेस का कार्य है, उन लोगों में से किसी ने यदि हम लोगों से मिलना चाहा और शान्ति की स्थापना के लिये स्वयं सरकार भी उत्सुक हुई तो फिर हम तक उनके पहुँचने में कोई कठिनाई न होगी।

एम० के० गाँधी — वल्लभभाई पटेल

सरोजिनी नायडू — जयरामदास दौलतराम

समझौते की नींव

युद्ध के पूर्व

सन् १९०६ से लेकर अबतक बराबर भारतवर्ष में स्वराज्य के लिये आन्दोलन हो रहा है। बृटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना के लिए, जो कुछ भी प्रयत्न होना चाहिए, वह सब भारत में किये गये। दादाभाई नौरोजी से लेकर समय-समय पर होनेवाले देश के

राजनीतिक नेताओं ने इसकी सफलता के लिए यथासाध्य प्रयत्न किये। देश में स्वाधीनता के भावों का जो विकास हुआ, महात्मा गोखले ने, उसे आगे बढ़ाने में अपनी शक्तियों का उपयोग किया। भगवान तिलक ने, स्वाधीनता के उस अंकुर को सदा के लिए अजर-अमर बनाने में सफलता पायी।

देश की प्रारंभ से ही यह धारणा थी कि बृटिश-साम्राज्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य उस अंगरेज़ी जाति के द्वारा शासित है जो स्वयं स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का प्यार करने वाली है। उसकी इस स्वाधीन-प्रियता पर ही विश्वास करके इस आन्दोलन का अनुष्ठान किया गया और उसी विश्वास पर यह आशा की गई कि भारत को अपने उचित राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त हो सकेंगे!

आगे चलकर यह आन्दोलन जितना ही सजीव होता गया, सरकार की आँखों में उतना ही परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। जो इस आन्दोलन के समर्थक बने, वे सरकार की दृष्टि में खटकने लगे और सरकार के उचित तथा अनुचित व्यवहारों की आलोचना करने ही के कारण लोकमान्य तिलक को, अपने जीवन में, कई बार जेलों में बंद होना पड़ा।

काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में राजनीतिक माँगों की खूब पुकार होती और उसके पाने के लिए अपने आपको पूर्ण

अधिकारी प्रमाणित किया जाता। लखनऊ-कांग्रेस में एक ज़ोरदार प्रस्ताव पास किया गया, उसमें प्रार्थना की गई कि सरकार भारत को स्वराज्य देने की नीति की घोषणा कर दे। इस प्रकार की परिस्थिति अधिक बढ़ जाने पर सरकार ने देश की राजनीतिक अवस्था की तहक़ीक़ात करने का निश्चय किया और इसके लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। उस कमीशन ने भारत के बड़े-बड़े नगरों में घूमकर और सरकारी दफ़्तरों में राजनीतिक मुक़द्दमों के काग़ज़ात देखकर अपनी तहक़ीक़ात का कार्य समाप्त कर दिया। उसने देश के सार्वजनिक जीवन की कुछ भी परवाह न की। उसने अपनी तहक़ीक़ात की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें लिखा कि भारत में क्रान्ति की लहर उत्पन्न हो रही है। उस कमेटी के निर्णय-स्वरूप रौलट-ऐक्ट, के नाम से एक क़ानून बनाया गया, जिसका अभिप्राय देश के राजनीतिक जीवन को सदा के लिए कुचल डालना था।

इस ऐक्ट का, भारत में सर्वत्र विरोध किया गया। महात्मा गांधी, इस समय दक्षिण अफ़्रिका का सत्याग्रह-युद्ध समाप्त करके भारत आ गये थे। रौलट-ऐक्ट के विरोध में महात्मा जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इसका फल यह हुआ कि रौलट-ऐक्ट कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया। इसके बाद कलकत्ते में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन

हुआ, उसमें महात्मा जी ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव उपस्थित किया और वह अंत में स्वीकृत हो गया।

युद्ध का समय

कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हो जाने पर, देश में एक अपूर्व जागृति उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात् काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृति के लिए वह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिसमें समस्त देश के उपस्थित प्रतिनिधियों ने बड़े ज़ोर के साथ उसका समर्थन किया। कांग्रेस अधिवेशन के समाप्त हो जाने पर देश में आन्दोलन का रूप ही पलट गया। बृटिश-सरकार यदि भारत के राजनीतिक अधिकारों को नहीं देना चाहती तो भारतवर्ष

उसके साथ अपने समस्त सहयोगों को छोड़ देने के लिए, मतवाला हो उठा। देश में सर्वत्र, असहयोग की धूम हो गई, हिन्दू-मुसलमान मिल कर, असहयोग आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने लगे। समूचा भारतवर्ष अपनी छिन्न-भिन्न शक्तियों को लेकर साम्राज्य के साथ सहयोग तोड़ने के लिए सचेष्ट होने लगा और सरकार अपनी असीम शक्तियों के साथ, भारत के इस प्रयत्न को विफल बनाने की चेष्टा करने लगी। इस प्रकार भारत और भारत-सरकार के बीच एक तुमुल युद्ध छिड़ गया। सरकार के प्रज्वलित दमन पर भारत के आज़ादी के दीवाने पतिंगों की तरह उड़-उड़कर बलिदान होने लगे।

अहिंसा की सजीव मूर्त्ति, महात्मा गांधी इस लड़ाई के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। उन्होंने अहिंसा की पवित्रता पर ही इस युद्ध का अनुष्टान किया था। उनके सत्याग्रह के सिद्धान्तों ने विशाल भारतवर्ष को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह की जो विवेचना की और जिस पवित्र आत्म-शक्ति के बल पर भारतवर्ष को स्वराज्य दिलाने की उन्होंने घोषणा की, उसने संसार के नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न कर दिया। अहिंसा की मर्यादा संसार में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, किन्तु अहिंसात्मक युद्ध संसार के इतिहास में पहला ही युद्ध था।

स्वाधीनता के पुजारी रक्तपात की नींव पर स्वाधीनता के प्रासाद् का निर्माण करने वाले योरप के स्वतंत्र राष्ट्र, इस युद्ध को देख कर अवसन्न रह गये। देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान् और महापुरुष, इस युद्ध और उसके संचालक महात्मा गांधी की आलोचना-प्रत्यालोचना में प्रशंसाओं के पुल बांधने लगे।

सरकार, जो प्रारम्भ में इस आन्दोलन और उसके व्यवस्थापक महात्मा गांधी का उपहास करती थी, आन्दोलन की सफलता देखकर सन्नाटे में आ गई। उसने राउण्डटेबुल कान्फ़रेस करके महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के नेताओं के साथ समझौता करने का विचार प्रकट किया। महात्मा गांधी अपनी कुछ शर्तों के साथ, उस कान्फ़रेन्स में सम्मिलित होना चाहते थे। यह समझौता कैसे हो, यह प्रश्न दोनों ओर उपस्थित हो गया।

जिन दिनों में समझौते का प्रस्ताव छिड़ा हुआ था, चौरीचौरा में एक हत्याकाण्ड हो गया। उसमें कुछ सरकारी अधिकारी जान से मारे गये। महात्मा गांधी को जब इस हत्याकाण्ड का समाचार मिला तो इससे उनको अत्यधिक दुख हुआ। वे स्वराज्य चाहते थे किंतु रक्त-पात के आधार पर नहीं। उनको स्वाधीनता प्रिय थी किंतु अहिंसा से अधिक नहीं! फल यह हुआ कि महात्मा गांधी ने समस्त

भारतवर्ष का युद्ध स्थगित कर दिया। अचानक स्थगित हो जाने से आन्दोलन-कारियों को बहुत कष्ट पहुँचा। स्थान-स्थान और नगर-नगर में जो सहस्रों-लाखों वीर स्वाधीनता के नाम पर बलिदान होने को उत्तेजित हो उठे थे, उनका यकायक रोकना अथवा रुक जाना कष्टसाध्य हो गया! अनेक प्रयत्न किये गये किंतु महात्मा गांधी अपने सिद्धान्त से तनिक भी चल-विचल न हुए। एक छोटे से स्थान चौरी-चौरा के अपराध के कारण, समूचे भारतवर्ष को फल भोगना पड़ा!

उत्थान के बाद

आशायें, निराशायें होगईं—उमड़ता हुआ उत्साह शीतल पड़ गया। अट्ठाईस—तीस हज़ार युद्ध-वीर भारतीयों के बलिदान होने का कुछ भी फल न निकला! सरकार की ओर से समझौते का 'जो सूत्रपात हुआ था, वह अन्तर्ध्यान होगया!

चौरीचौरा के हत्याकाण्ड ने महात्माजी के विचारों में एक विशाल अन्तर उत्पन्न कर दिया। उनका विश्वास हो गया कि देश अभी तक सत्याग्रह-युद्ध के लिए तैयार नहीं

है। इस अपरिपक्व अवस्था में, सत्याग्रह का छेड़ देना केवल भूल ही होगी। एक ओर महात्माजी के भावों में यह परिवर्तन हो रहा था, दूसरी ओर देश के सार्वजनिक जीवन में पारस्परिक विद्वेष की अग्नि उत्पन्न हो रही थी। इस अग्नि ने, सार्वजनिक समाज को बिलकुल छिन्न-भिन्न कर दिया। सर्वसाधारण समाज में परस्पर बड़ी विषमता उत्पन्न होगई। हिन्दू-मुसलमानों में परस्पर धार्मिक युद्ध की छेड़-छाड़ हुई। कांग्रेस की शक्ति भी अनेक भागों और उपभागों में बंट गई। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में अन्तर्द्वन्द्व प्रारंभ हो गया!

पिछले दिनों में सरकार ने एक घोषणा प्रकाशित की थी कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर भारत के राजनीतिक जीवन और उसकी मांगों के संबंध में तहक़ीक़ात कराई जायगी। इन तहक़ीक़ातों का भारत को कई बार का कटु अनुभव था, वह तहक़ीक़ातों के उपहास अब नहीं देखना चाहता था। किंतु देश में कुछ इस प्रकार के भी, हमदर्द थे, जो सरकार की इन बातों पर विश्वास करते थे। जिस समय सरकार की ओर से यह कमीशन तैयार किया गया, उस समय भारत के इन हमदर्दों के नेत्र खुल गये। उनका विश्वास था कि उस कमीशन में भारत-वासियों को भी स्थान मिलेगा किंतु उसमें इङ्गलैण्ड के उन सात सयानों को स्थान दिया गया जो वृटिश-रीति-नीति से चिर परिचित थे। यह कमीशन

सर जान साइमन के उत्तर दायित्व पर इङ्गलैण्ड से रवाना हुआ और साइमन-कमीशन के नाम से भारत पहुँचा।

भारतवर्ष में सर्वत्र ही उसका बहिष्कार किया गया। यहाँ आकर के वह कमीशन भारत के नगरों में घूमा और जहाँ-जहाँ पर वह गया, वहीं पर उसका काले झंडों के साथ स्वागत हुआ। इसी वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इसी बीच में, कांग्रेस ने एक और भी कार्य किया। सरकार का कहना था कि भारतीय कांग्रेस की जो माँगें हैं, उनमें भारत की समस्त जातियां सम्मिलित नहीं हैं। थोड़े से लोगों को छोड़कर शेष भारत की उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस ने देश के प्रमुख विद्वानों की कमेटी बनाकर, एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने का निश्चय किया, जो भारत के समस्त समुदायों की मांगों की रक्षा करती हो। पंडित मोतीलाल नेहरू के उत्तरदायित्व में इस कमेटी का कार्य प्रारंभ हुआ, और उसकी रिपोर्ट नेहरू-कमेटी के नाम से प्रकाशित हुई।

इस कमेटी का कार्य बड़े उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित हुआ। उसके प्रकाशित हो जाने पर देश के स्थान-स्थान से उसका समर्थन किया गया। वह रिपोर्ट देश में सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गई। सन् १९२८ ई० में कलकत्ते की कांग्रेस में फिर एक बार स्वराज्य की लहर उठी। उस कांग्रेस के निर्णय

के अनुसार, सरकार को एक वर्ष का फिर अवसर दिया गया कि वह नेहरू-रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की व्यवस्था करे। इस एक वर्ष के भीतर सरकार के कुछ न करने पर, आगामी कांग्रेस में स्वाधीनता की घोषणा की जायगी। उस समय औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रश्न न होकर, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रश्न होगा।

सन् १६२६ ई० के वर्ष का समय बीतने लगा। सरकार पर कांग्रेस के इस निर्णय का कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं, किंतु सरकार ने उसके संबंध में कुछ भी नहीं किया। इस वर्ष के दिन जितनी जल्दी के साथ व्यतीत होते जाते थे, काँग्रेस के नेताओं का उत्तरदायित्व उतना ही निकट आता जाता था।

नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट को देश के सभी लोगों ने समान रूप से अपनाया। नरम दल वालों ने उसका समर्थन करके यह आशा की थी कि इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार हमारी मांगें, अवश्य ही पूरी करेगी। इस पूर्ति की अवधि केवल सन् १६२६ ई० के दिनों में ही समाप्त हो जाने को थी, इसलिए, सरकार पर विश्वास और श्रद्धा रखने वालों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी बाट जोही, बड़ी-बड़ी आशाओं के साथ, उसका रास्ता देखा, सम्पूर्ण वर्ष व्यतीत हो गया, किंतु कुछ भी नतीजा न निकला।

सन् १९३०

भारतवर्ष सन् १९३० ई० का रास्ता देख रहा था, सरकार भी उसे किसी प्रकार भुला सकने में समर्थ न थी। धीरे-धीरे सन् १९३० आगया। देश में, चारों तरफ़ कुछ और ही चर्चा होने लगी। स्वाधीनता के सोते हुए भाव फिर जागने लगे। देश में सर्वत्र ही, एक स्फूर्ति-सी दिखाई पड़ने लगी।

स्थगित किया हुआ सरकार के साथ सत्याग्रह-युद्ध फिर प्रारंभ करने के लिए, महात्मा गांधी ने घोषणा की। देश सचेष्ट हो उठा, महात्मा जी ने सत्याग्रह के लिये प्रस्थान करने के

पूर्व, लार्ड इरविन के नाम एक पत्र लिखा। वह पत्र कितना महत्व पूर्ण था, महात्मा गांधी और भारत-सरकार के बीच की परिस्थितियों की, उस पत्र में कितनी गंभीर तात्विक आलोचना थी यह बताने से, कहीं अच्छा उस पत्र का प्रकाशित करना है। पत्र इस प्रकार है:—

सत्याग्रह आश्रम, साबरमती

२ मार्च १६३०

प्रिय मित्र,

निवेदन है कि इसके पहले कि मैं सविनय क़ानून-भंग शुरू करूं और शुरू करने पर जिस जोखम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से हिचकिचाता रहा हूं, उसे उठाऊं, इस उम्मीद से मैं. आपको यह पत्र लिखने जा रहा हूँ कि अगर समझौते का कोई रास्ता निकल सके तो उसके लिए कोशिश कर देखूं।

अहिंसा में मेरा विश्वस तो ज़ाहिर ही है। जानबूझकर मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य-हिंसा की तो बात ही क्या है? फिर भले ही उन मनुष्यों ने मेरा या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ उनका, बड़े-से-बड़ा अहित ही क्यों न किया हो। इसलिए यद्यपि अंग्रेज़ी सल्तनत को मैं एक बला मानता हूं, तो भी मैं यह कभी नहीं चाहता कि

एक भी अंग्रेज़ को या भारत में उपार्जित उसके एक भी उचित हित को, किसी तरह का नुक़सान पहुंचे।

ग़लतफ़हमी से बचने के लिए मैं अपनी बात को ज़रा और साफ़ किये देता हूं। यह सच है कि मैं भारत में अंग्रेज़ी राज्य को एक बला मानता हूं। लेकिन इसके कारण मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि सब-के-सब अंग्रेज़ दुनिया के दूसरे लोगों के मुक़ाबिले ज़्यादा दुष्ट हैं! बहुतेरे अंग्रेज़ों के साथ गहरी दोस्ती रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है; यही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी राज्य ने हिन्दुस्थान को जो नुक़सान पहुंचाया है, उसके बारे में बहुतेरी हक़ीकतें तो मुझे उन अनेक अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताबों से ही मालूम हुई हैं, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में, निडरतापूर्वक प्रकट किया है और इसके लिए मैं उन सबका हृदय से आभारी हूं।

तो फिर मैं किस कारण अंग्रेजी राज्य को शापरूप मानता हूं! कारण ये हैं: इस राज्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया है कि जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिए बढ़ते हुए परिमाण में बराबर चूसा जाता रहे; अलावा इसके, इस तंत्र का फ़ौजी और दीवानी ख़र्च इतनी ज़्यादा तबाही करने वाला है कि मुल्क उसे कभी बरदाश्त नहीं कर सकता। नतीजा इसका यह हुआ है कि हिन्दुस्थान के करोड़ों बेज़बान लोग आज कंगाल बन गये हैं।

राजनैतिक दृष्टि से इस राज्य ने हमें लगभग गुलाम बना डाला है। इसने हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद को ही उखेड़ना शुरू कर दिया है। और, लोगों से हथियार छीन लेने की सरकारी नीति ने तो हमारी मनुष्यता को ही कुचल डाला है। संस्कृति के नाश से हमारी जो आध्यात्मिक हानि हुई, उसमें हथियार न रखने के क़ानून के और बढ़ जाने से देश के लोगों की मनोदशा डरपोक और बेबस गुलामों की-सी हो गई है।

नीयत ही न थी

अपने दूसरे कई भाइयों के साथ-साथ मैं भी यह आशा लगाये बैठा था कि आपके द्वारा प्रस्तावित गोलमेज़ परिषद् से ये सब शिकायतें रफ़ा हो सकेंगी। लेकिन जब आपने मुझे साफ़-साफ़ कह दिया कि औपनिवेशिक स्वराज्य—डोमीनियन स्टेटस—की किसी भी योजना का समर्थन करने का आश्वासन देने के लिए आप या बृटिश मंत्री-मंडल तैयार नहीं है, तब मैंने महसूस किया कि हिन्दुस्थान के समझदार लोग स्पष्टज्ञान-पूर्वक और अज्ञान के कारण चुप रहने वाले करोड़ों देशवासी धुंधली-सी समझ के साथ जिन दुःखों को मिटाने के लिए तरस रहे हैं, इस गोलमेज़ परिषद् में उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यहाँ यह कहने की तो शायद ही ज़रूरत हो कि

इस मामले में पार्लमेण्ट को आख़िरी फ़ैसला करने का जो हक है, उसे छीन लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें मन्त्री-मण्डल ने इस आशा से कि पार्लमेण्ट की अनुमति या इजाज़त मिलेगी ही, पहले ही से अपनी नीति ठहरा ली थी।

इस तरह दिल्ली की मुलाक़ात का कोई नतीजा न निकलने से सन् १९२८ में कलकत्ते की महासभा ने जो गंभीर प्रस्ताव किया था उसका अमल कराने की पैरवी करने के सिवा पंडित मोतीलालजी के और मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रह गया था।

पर आपकी घोषणा में जिस 'डोमीनियन स्टेटस' शब्द का ज़िक्र है, अगर वह शब्द अपने सच्चे अर्थ में प्रयुक्त किया गया होता तो आज पूर्ण 'स्वराज्य' के प्रस्ताव से भड़कने का कोई कारण ही न था। क्योंकि 'डोमीनियन स्टेटस' का अर्थ लगभग पूर्ण स्वाधीनता ही है। इस बात को प्रतिष्ठित बृटिश राजनीतिज्ञों ने ख़ुद ही क़बूल किया है, और इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि बृटिश-राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही डोमीनियन स्टेटस दे दिया जाय।

लेकिन ये तो सब गई गुज़री बातें हैं। आपकी घोषणा के

बाद तो ऐसी अनेक घटनायें घट चुकी हैं, जिनसे बृटिश राजनीति का रुख़ साफ़ ही ज़ाहिर हो जाता है।

हिन्दुस्थान को पीस डालनेवाला तंत्र

यह बात रोज़रोशन की तरह ज़ाहिर है कि जिन राजनैतिक परिवर्त्तनों से भारत के साथ इंग्लैण्ड के व्यापार को ज़रा भी नुक़सान पहुंचने की संभावना हो, और भारत के साथ इङ्गलैण्ड के आर्थिक लेन-देन के औचित्य-अनौचित्य की गहरी छानबीन के लिए एक निष्पक्ष पंचायत मुक़र्रर करनी पड़े, वैसे राजनीतिक हेरफेर होने देने की नीति अख़्तियार करने की ओर ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों का ज़रा भी रुख़ नहीं पाया जाता है। पर अगर हिन्द को चूसते रहनेवाले इस तर्ज़ेअमल का ख़ात्मा करने का कोई इलाज न किया गया तो हिन्द की बरबादी की चाल रोज़बरोज़ तेज़ ही होने वाली है। आपके अर्थ-सचिव या खज़ांची कहते हैं कि १८ पेंस की विनिमय की दर तो बिधि की लकीर की तरह अमिट है। इस तरह क़लम के एक इशारे से भारतवर्ष के करोड़ों रुपये बाहर खिंचे चले जाते हैं। और जब इस, और ऐसी दूसरी बहुतेरी विधि की लकीरों को मेटने के लिए सत्याग्रह या सविनय क़ानून भंग की आज़माइश करने का गंभीर प्रयत्न शुरू किया जाता है तो आप भी धनवानों और ज़मींदारों वग़ैरह से यह

अनुरोध किये बिना नहीं रहते कि वे देश में अमन-क़ानून की रक्षा के लिए ऐसे आन्दोलनों को कुचलने में आपकी मदद करें। आपके इस अमन-क़ानून के भार से दब कर भारत का सत्यानाश हो रहा है।

जो लोग जनता के नाम से काम कर रहे हैं, वे अगर आज़ादी की लगन के वजूहात को—स्वाधीनता की रट के उद्देश्य को, साफ़ तौर से न समझें और अपनी बात को आम लोगों के सामने न रखते रहें तो अंदेशा यह है कि जिनके लिए आज़ादी चाही जाती है, और हासिल करने के लायक़ हैं, उन रातदिन एँड़ी-चोटी का पसीना एक करनेवाले करोड़ों बेज़बानों के लिए यह आज़ादी इतने बोझ से लदी हुई—दबी हुई मिलेगी कि उनके लिए उसका कोई मूल्य ही न रहेगा। इसीलिए इधर कुछ दिनों से मैं लोगों को आज़ादी का—स्वतंत्रता का सच्चा मतलब समझा रहा हूं। अब इस सम्बन्ध की कुछ ख़ास बातें आपके सामने पेश करने का साहस करता हूं।

सच्ची आज़ादी किसमें है ?

जिस मालगुज़ारी से सरकार को इतनी अधिक आमदनी होती है, उसीके भार से रिआया का दम निकला जा रहा है। स्वतंत्र भारत को इस नीति में बहुत कुछ हेरफेर करना

होगा। जिस स्थायी बन्दोबस्त की तारीफ़ के पुल बांधे जाते हैं, उससे सिर्फ मुट्ठीभर धनवान जमींदारों को ही फायदा पहुँचता है; आम रिआया को नहीं। इसीलिए मालगुज़ारी को बहुत कुछ घटाने की ज़रूरत है। यही नहीं, बल्कि रैयत के भले को ही ख़ास ध्येय बनाकर कर लगान की सारी नीति को ही बदल डालने और नई नीति क़ायम करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। लेकिन सरकार की नीति से तो यह मालूम होता है कि वह जनता के प्राणों को भी चूस लेने के इरादे से ठहराई गई है। नमक-जैसी रातदिन की ज़रूरी चीज़ पर भी, जिसके बिना करोड़ों का काम चल ही नहीं सकता, महसूल का बोझ इस तरह लाद दिया गया है कि उसका भार ख़ासकर ग़रीबों पर ही ज़्यादा पड़ता है। कहा जाता है कि यह कर निष्पक्ष होकर वसूल किया जाता है, पर इसकी निष्पक्षता ही तो निर्दयता है। नमक ही एक ऐसी चीज़ है, जिसे धनवान या अमीर व्यक्तियों अथवा समुदायों के मुक़ाबिले में ग़रीब लोग अधिक खाते हैं। इस बात का विचार करने से हमें पता चलता है कि ग़रीबों के लिए यह कर कितना भाररूप है। शराब और दूसरी नशीली चीज़ों से होनेवाली आमदनी का ज़रिया भी ये ग़रीब ही हैं। ये चीज़ें लोगों की तन्दुरुस्ती और नीति को जड़मूल से मिटाने वाली हैं। पर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के बहाने, जो कि झूठा बहाना है, इसका बचाव किया जाता

है; सच तो यह है कि इनसे जो आमदनी होती है, उस के लिए ही ये विभाग क़ायम हैं। सन् १९१९ में जो सुधार जारी किये गये, उनके अनुसार इन मदों की आमदनी चतुराई के साथ नामधारी निर्वाचित मंत्रियों के जिम्मे कर दी गई, जिससे सब तरह की नशीली चीज़ों का व्यवहार बन्द करने से होने वाला अधिक नुक़सान उन्हें ही सहना पड़ा, और इस तरह शुरुआत ही से देश-हित के काम करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। अगर कोई अभागा मंत्री इस आमदनी से हाथ धोना चाहे भी तो वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस हालत में उसे शिक्षा-विभाग ही बन्द कर देना पड़ता है, और मौजूदा हालत में शराब के बजाय आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया पैदा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। इस तरह ग़रीबों को इन करों के बोझ तले पिसने का ही दुःख नहीं है, वे इसलिए भी दुःखी हैं, कि उनकी आमदनी को बढ़ानेवाला चर्खे-जैसा गृह-उद्योग नष्ट कर दिया गया है और इस तरह उन्हें आमदनी के इस ज़रिये से ज़बर्दस्ती महरूम रक्खा गया है—वंचित किया गया है।

हिन्दुस्थान की तबाही का यह दर्दभरा क़िस्सा अधूरा ही कहा जायगा जबतक हिन्द के नाम जो क़र्ज़ा लिया गया है, उसका ज़िक्र इस सिलसिले में न किया जाय। लेकिन इस बारे में इन दिनों अख़बारों में काफ़ी चर्चा हो चुकी है,

अतः विस्तार के साथ इसका ज़िक्र करना अनावश्यक है। यह कहना ही काफ़ी होगा कि इस तरह के तमाम क़र्ज़ों की पूरी-पूरी जाँच एक निष्पक्ष पंचायत द्वारा कराई जानी चाहिए। इस जाँच के फलस्वरूप जो क़र्ज़ अन्यायपूर्ण और अनुचित ठहराया जायगा उसे देने से इनकार करना ही आज़ाद हिन्दुस्थान का सच्चा फ़र्ज़ होगा।

इस तंत्र को तिलांजलि दो

यह ज़ाहिर है कि मौजूदा विदेशी सरकार दुनिया-भर में ज़्यादा-से-ज़्यादा ख़र्चीली है और इसे बनाये रखने की ग़रज़ ही से ये सारे पाप किये जा रहे हैं। आपके वेतन को ही ले लीजिये। वह माहवार २१,०००) से भी ज़्यादा है। सिवा इसके, उसमें भत्ता और दूसरे सीधे-टेढ़े आमदनी के ज़रिये हैं ही। इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री की तनख़्वाह से इसका मुक़ाबिला कीजिये। उन्हें सालाना, ५,००० पौण्ड, याने, मौजूदा दर के हिसाब से माहवार ५,४००) से कुछ अधिक मिलता है। जिस देश में हरएक आदमी की औसत रोज़ाना आमदनी दो आने से भी कम है उस देश में आपको रोज़ाना ७००) से भी अधिक मिलते हैं; उधर इंग्लैण्ड के बाशिन्दों की औसत दैनिक आय लगभग २) मानी जाती है और प्रधान मंत्री को रोज़ाना सिर्फ १८०) ही मिलते हैं। इस तरह आप

अपनी तनख़्वाह के रूप में ५,००० से भी अधिक भारतीयों की औसत कमाई का हिस्सा ले लेते हैं; उधर इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री सिर्फ़ ९० अंग्रेज़ों की कमाई ही लेते हैं। आप से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप इस आश्चर्यजनक विषमता पर ध्यानपूर्वक थोड़ा विचार कर देखें। एक कठोर पर सच्ची हक़ीक़ात को ठीक से समझाने के लिए मुझे आपका व्यक्तिगत उदाहरण पेश करना पड़ता है; नहीं तो जाती तौर पर मेरे दिल में आपके लिए इतनी इज्ज़त है कि मैं ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि आपको इतनी ज़्यादा तनख़्वाह मिले। मुमकिन है कि आप अपनी सारी तनख़्वाह दान में दे डालते हों। पर जिस राज्य-प्रणाली ने ऐसी खर्चीली व्यवस्था बना रक्खी है, उसे तुरन्त तिलांजलि देना ही उचित है। जो दलील आपकी तनख़्वाह के लिए ठीक है, वही सारे राज्य-तंत्र पर लागू होती है।

थोड़े में बात यह है कि जब राज्य-प्रबन्ध के ख़र्च में बहुत ज़्यादा कमी कर दी जायगी, तभी राज्य की आमदनी में भी बहुत कुछ कमी की जा सकेगी। और यह तभी हो सकता है जब कि राज-काज की सारी नीति ही बदल दी जाय। इस तरह का परिवर्त्तन बिना स्वतंत्रता के हो नहीं सकता। मेरी राय में इन्हीं भावों से प्रेरित होकर ता० २६ जनवरी के दिन

लाखों ग्राम-वासी स्वातंत्र्य दिवस मनाने के लिए की गई सभाओं में अपने आप सहज ही शामिल हुए थे। उनकी ओर से तो स्वाधीनता का मतलब उन कुचल डालनेवाले बोझों से छुटकारा पाना है।

इंग्लैण्ड जिस तरह इस देश को लूट रहा है, सारा हिन्दुस्थान उसका एक स्वर से विरोध कर रहा है, तो भी मैं देखता हूं इंग्लैण्ड का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस लूट को बन्द करने के लिए तैयार नहीं है।

अहिंसा ही यम-पाश से छुड़ा सकती है

पर भारतीय जनता को जिन्दा रखने और अन्न की कमी के कारण धीरे-धीरे होनेवाले उसके विनाश को अटकाने के लिए शीघ्र ही कोई-न-कोई इलाज तो ढूंढ ही निकालना होगा —सिवा इसके और कोई चारा ही नहीं है। आपके द्वारा प्रस्तावित परिषद् वह इलाज नहीं है। दलीलों से बुद्धि को विश्वास कराने का अब कोई सवाल ही नहीं रहा है; अब तो सिर्फ दो परस्पर विरोधी ताकतों की मुठभेड़ का सवाल ही बाक़ी रहता है। उचित हो या अनुचित, इंग्लैण्ड तो अपनी पाशवी ताक़त के बल पर ही भारत के साथ के व्यापार को और भारत में रहे हुए अपने स्वार्थों को बनाये रखना चाहता है। इस यम-पाश से छुटकारा पाने के लिए जितनी ताक़त

ज़रूरी है, वह ताक़त इकट्ठा करना अब भारत के लिए लाज़िमी हो गया है।

इसमें तो किसी भी पक्ष को शक नहीं है कि हिन्दुस्थान में जो हिंसक दल है, भले आज वह असंगठित और उपेक्षणीय हो, फिर भी, दिनोंदिन उसका बल बढ़ता जा रहा है और वह प्रभावशाली बन रहा है। उस दल का और मेरा ध्येय तो एक ही है; पर मुझे यक़ीन है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को जिस आज़ादी की ज़रूरत है, वह इनके दिलाये नहीं मिल सकती। अलावा इसके मेरा यह विश्वास दिनोंदिन बढ़ता ही जाता है कि शुद्ध अहिंसा के सिवा और किसी भी तरीक़े से ब्रिटिश-सरकार की यह संगठित हिंसा अटकाई नहीं जासकेगी। बहुतेरे लोगों का यह ख़याल है कि अहिंसा में कार्यसाधक शक्ति नहीं होती। जो भी मेरा अनुभव एक ख़ास हद तक ही महदूद रहा है तो भी मैं यह जानता हूं कि अहिंसा में ज़बर्दस्त कार्यसाधक शक्ति है। ब्रिटिश सल्तनत की संगठित हिंसा-शक्ति और देश के हिंसक दल की असंगठित हिंसा-शक्ति के मुक़ाबिले में इस ज़बर्दस्त अहिंसक शक्ति को खड़ी करने का मेरा इरादा है। अगर मैं हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा तो इन दोनों हिंसक शक्तियों को निरंकुश होकर खुल खेलने का मौका मिल जायगा। अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे अहिंसा की अमोघ शक्ति में निःशंक और अविचल श्रद्धा है, इतना होते

हुए भी अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग करने के बजाय चुपचाप बैठा रहूं तो मैं समझता हूं कि मुझे पाप लगेगा।

यह अहिंसा-शक्ति सविनय भंग द्वारा व्यक्त होगी। फिलहाल तो सिर्फ सत्याग्रह-आश्रम के लोगों द्वारा ही इस की शुरुआत होगी, लेकिन बाद में तो जो इस नीति की स्पष्ट मर्यादाओं को क़ायम रक्खेंगे, वे सब इसमें शामिल हो सकेंगे यही सोचा गया है।

बग़ैर जोख़म के जीत कहां ?

मैं जानता हूं कि अहिंसात्मक संग्राम शुरू करके मैं पागलों का-सा साहस कर रहा हूँ, वैसा जोखिम उठा रहा हूं। लेकिन भारी से भारी जोखिम उठाये बिना सत्य की कभी जीत नहीं हुई है। जो लोग अपने से ज्यादा बहुसंख्यक, पुराने और अपने समान ही सभ्य, संस्कृत लोगों का जाने-अजाने नाश कर रहे हैं, उन लोगों के हृदय को बदल देने के लिए जितना जोखिम उठाना पड़े, कम ही है।

अंग्रेजों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है

'हृदय को बदल देने' की बात मैं जानबूझ कर कह रहा हूं। क्योंकि मैं अहिंसा-द्वारा अंग्रेज़ लोगों के हृदय को इस तरह बदला चाहता हूं कि जिससे वे यह साफ-साफ देख सकें कि उन्होंने हिन्दुस्थान को कितना नुक़सान

पहुंचाया है। मैं आपके देश-भाइयों का बुरा नहीं चाहता। अपने देश-भाइयों की तरह ही मैं उनकी भी सेवा किया चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा उनकी सेवा ही की है। सन् १९१९ तक मैंने आँखें बन्द करके उनकी सेवा की। लेकिन जब मेरी आँखें खुलीं और मैंने असहयोग की आवाज़ बुलन्द की तब भी मेरा मक़सद उनकी सेवा करना ही था। जिस हथियार का मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धी के ख़िलाफ़ नम्रता से, पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है, वही हथियार मैंने सरकार के ख़िलाफ़ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता हूं तो यह ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। बरसों तक मेरी परीक्षा लेने के बाद जैसे मेरे कुनबेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है, वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन कबूल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में आम रिआया मेरा साथ देगी, और अगर उसने साथ दिया तो— सिवा उस हालत के कि अंग्रेज लोग समय रहते ही समझ जाँय—देश पर आफ़त और दुःख के जो पहाड़ टूट पड़ेंगे उनके कारण बज्र से भी कठोर दिलवालों के दिल पसीज जाँयगे।

सविनय भंग द्वारा सत्याग्रह करने की योजना में उक्त अन्यायों का विरोध करना ख़ास बात होगी। ब्रिटिश या

अंग्रेज जनता के साथ का सम्बन्ध तोड़ डालने की हमारी इस इच्छा का कारण ऊपर गिनाये गये ये अन्याय ही हैं। इनके मिटने ही से रास्ता साफ होगा। और फिर सुलह के लिए दर्वाज़े खुल जायंगे। भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार में से लोभ का पाप धुल जाय तो हमारी आज़ादी को कबूल करने में अंग्रेजों को कोई कठिनाई न हो। मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि आप इन अन्यायों को स्वीकार करें, इन्हें तत्काल दूर करने का कोई रास्ता निकालें, और इस तरह सारी मानवजाति के कल्याण के उपायों को ढूंढ़ निकालने की इच्छा से कोई ऐसा तरीका अख़्तियार करें कि जिससे दोनों पक्ष बराबरी के नाते सलाह करने को इकट्ठा हों। ऐसा करने से अपने आप ही दोस्ती बंधेगी और दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहने तथा दोनों को अनुकूल हो जाय इस तरह व्यापार करने की नीति ठहरा सकेंगे। बदनसीबी से देश में आज जो क़ौमी झगड़े फैले हुए हैं उन्हें आपने बिला वजह जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है। राजनैतिक विधान की किसी भी योजना के बनाने में इन बातों का महत्त्व अवश्य है, लेकिन जो सवाल क़ौमी झगडों से परे हैं और जिनके कारण सब क़ौमों को समान रूप से हानि उठानी पड़ती है, उन सवालों का इन झगड़ों से कोई सरोकार ही नहीं है।

अगर आप न सुनेंगे तो—

लेकिन अगर ऊपर लिखी बुराइयों को दूर करने का कोई इलाज आप नहीं ढूंढ़ निकालेंगे और मेरे इस ख़त का आप पर कोई असर न होगा, तो इस महीने की ग्यारहवीं तारीख़ को मैं अपने आश्रम के जितने साथियों को ले जा सकूंगा उतने साथियों के साथ नमक सम्बन्धी क़ानून को तोड़ने के लिए क़दम बढ़ाऊंगा। गरीबों के दृष्टिबिन्दु से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम हुआ है। आज़ादी की यह लड़ाई ख़ासकर देश के गरीब-से-गरीब लोगों के लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जायगी। आश्चर्य तो यह है कि हम इतने सालों तक इस दुष्ट एकाधिकार को मानते रहे। मैं जानता हूं कि मुझे गिरफ़्तार करके मेरी योजना को निष्फल बना देना आपके हाथ में है। परन्तु मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद लाखों आदमी संगठित होकर इस काम को उठा लेंगे, और नमक-कर का जो क़ानून कभी बनना ही न चाहिए था उसे तोड़ कर कानून की रू से होनेवाली सज़ा को भोगने के लिए तैयार रहेंगे।

अगर सम्भव होता तो मैं आपको फिजूल ही—या ज़रा भी—धर्मसंकट में डालना नहीं चाहता। यदि आपको मेरे पत्र में कोई तत्त्व की बात मालूम हो और मुझसे वार्त्तालाप करने

का जितना महत्त्व आप उसे देना चाहें और इस के लिए इस ख़त को छापने से रोकना पसन्द करें तो इस ख़त के मिलते ही बज़रिये तार मुझे इत्तिला दीजिएगा। मैं खुशी से इसे छापना मुलतवी रखूंगा। किन्तु अगर मेरे पत्र की खास-खास बातों को मंज़ूर करना आपको नामुमकिन मालूम हो तो मुझे अपने पथ से लौटाने का प्रयत्न न कीजियेगा, यही प्रार्थना है।

यह ख़त धमकी के लिए नहीं लिखा है, बल्कि सत्याग्रही के सरल और पवित्र धर्म का पालन करने के लिए लिखा है। इसलिए मैं यह ख़त एक अंग्रेज़ नौजवान के हाथों आप तक पहुँचाने का ख़ास तरीक़ा अख़्तियार कर रहा हूं। यह नौजवान भारत की लड़ाई को इन्साफ़ की लड़ाई मानते हैं। अहिंसा में इन्हें पूरी श्रद्धा है और मानो ईश्वर ने इस ख़त के लिए ही इन्हें मेरे पास भेज दिया हो, इस तरह ये मेरे पास आ पहुँचे हैं।

आपका सच्चा मित्र—

मोहनदास करमचंद गांधी

महात्मा गांधी ने अपना यह पत्र भेजकर वाइसराय को छत्तीस घंटे के भीतर उसका उत्तर देने के लिये, लिखा था। यह अवधि समाप्त हो गई परन्तु पत्र का उत्तर न आया! इस पर महात्मा जी ने अपना पत्र, समाचार-पत्रों में प्रकाशित

करने की आज्ञा दे दी और अपने प्रस्थान की तैयारी करने लगे। उसके पश्चात् महात्मा जी के नाम वाइसराय का पत्र आया। महात्मा जी के पत्र का उत्तर क्या मिला यह पाठकों को जानना बहुत आवश्यक है। उत्तर की पंक्तियां इस प्रकार हैं:—

प्रिय मि० गांधी,

आपका २ मार्च का पत्र वाइसराय साहब को मिला है, उन्हें जानकर यह दुःख हुआ है कि आप ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसके फल-स्वरूप निश्चय ही सार्वजनिक शान्ति के भंग होने का और क़ानून के अनादर का पूरा-पूरा ख़तरा है।

सेवक—जी० कनिंघम
प्राइवेट सेक्रेटरी

महात्मा गांधी ने अपने साथ कुछ सत्याग्रहियों को लेकर, देश में नमक का क़ानून तोड़ना प्रारंभ कर दिया और दूसरे सत्याग्रहियों को भी, जो देश में तैयार थे, इसके लिये अनुमति दे दी। फल यह हुआ कि देश में सर्वत्र सरकारी क़ानूनों के खिलाफ़ नमक बनाना आरंभ हो गया, सरकार इस पर लोगों को गिरफ़्तार करने लगी। गिरफ़्तारियां आरम्भ होने पर देश में सत्याग्रहियों की संख्या का कुछ ठिकाना न रहा।

कुछ दिनों के पश्चात् विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार

शराब का वहिष्कार और बृटिश-माल का वहिष्कार चारों ओर फैल गया। सरकारी दमन जितना ही ज़ोर पकड़ता गया, देश में सत्याग्रहियों की उतनी ही संख्या बढ़ती गई। विदेशी वस्त्रों की होली से आकाश की वायु उत्तप्त हो उठी। वहिष्कार का तूफ़ान दिन-पर-दिन ज़ोर पकड़ता गया। देश के नेता, कार्यकर्ता और सत्याग्रही गिरफ़्तार करके जेलों में ठूंसे जाने लगे। दमन की इस अग्नि ने देश की तैयारी में बड़ी सहायता दी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, स्त्रियों से लेकर मर्दों तक—ऐसा देश में कोई न दिखाई पड़ता, जो दमन की इस अग्नि में वलिदान होने के लिये, मतवाला न दिखाई देता। देश में सत्याग्रह का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर और प्रत्येक स्थान पर पूरी आज़ादी के नक़ारे लगाये जाने लगे।

सरकार की ओर से लंदन में राउण्डटेबुल कान्फरेन्स करने की घोषणा की गई थी, सरकार ने २० अक्टूबर को उस कान्फरेन्स का होना निश्चित किया। उधर उसकी तैयारी हो रही थी और इधर देश में, युद्ध का भीषण हाहाकार मचा हुआ था। लंदन में होने वाली इस कान्फरेन्स का पूर्ण वहिष्कार किया गया। किन्तु सरकार पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा, वह अपना काम करती थी। दमन दिन-पर-दिन वढ़ता जाता था, और लंदन में कान्फरेन्स की तैयारी

भी होती जाती थी। इसी बीच में एक बात और हुई। भारतवर्ष में घूम-घाम कर साइमन-कमीशन इङ्गलैण्ड लौट गया था। उसने यद्यपि अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने में काफ़ी देर की, किन्तु फिर भी जिस समय वह प्रकाशित हुई, उसने अच्छा काम किया। जो लोग, इस कमीशन पर कुछ भरोसा करते थे, वे इस रिपोर्ट का प्रकाशित भाग देखकर दंग रह गये। उन्होंने उससे जो आशाएं की थीं वह एक भी पूरी नहीं हुई।

इस समय देश की स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी। महात्मा गांधी तथा देश के समस्त नेता जेलों में बंद थे। समाज के सर्वसाधारण लोग बिना किसी नेता के अपने युद्ध को बराबर आगे बढ़ाये जा रहे थे। जिस उत्तर दायित्व को नेताओं ने क़ायम रखना निश्चित किया था, भारतवर्ष, प्रतिज्ञा के साथ उसका संचालन कर रहा था। देश और विदेश—सर्वत्र यह बात स्पष्ट प्रकट थी कि भारतवर्ष, लंदन में होने वाली कान्फरेन्स में किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकता और न वह उसमें सम्मिलित ही हो सकता है।

इस प्रकार की स्थिति में भारत और भारत-सरकार के बीच समझौते का सूत्रपात हुआ, जिसका विवरण ज्यों-का-ज्यों अगले पृष्ठों में पाठक पढ़ेंगे।

समझौते की कोशिश

वाइसराय के नाम पत्र

देश की राजनीतिक परिस्थिति को सुलझाने के उद्देश्य से डाक्टर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने वाइसराय के पास एक पत्र भेजा। पत्र इस प्रकार है—

शिमला, सीसिल होटल
१३ जुलाई, १९३०

प्रिय लार्ड इरविन,

देश की राजनीतिक परिस्थिति की ओर, अत्यन्त नम्रता

के साथ हम आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिस के द्वारा, हमारे विचारों में, कुछ इस प्रकार के प्रयत्न किये जा सकते हैं जिनसे शान्ति की व्यवस्था हो सके। देश के वर्तमान आन्दोलन से, यद्यपि हमारा कोई सम्पर्क नहीं है फिर भी देश और सरकार के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है और जिसके फल-स्वरूप चारों ओर दमन हो रहा है उसको देखकर हमारा यह एक आवश्यक कर्त्तव्य होगया है कि ऐसे समय में देश और साथ ही सरकार का जो कुछ उपकार होसके, करें और यदि कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जिससे आन्दोलन के नेताओं और सरकार के बीच समझौता होसके तो उसके लिए प्रयत्न करें। हमने आप का भाषण पढ़ा है और हम समझते हैं कि आप और आप की सरकार ने इस आन्दोलन का सामना करने का निश्चय किया है किन्तु यदि कोई ऐसा पथ हो सकता है जो आन्दोलन करनेवालों और सरकार—दोनों को स्वीकृत हो सके और उससे देश में शान्ति की व्यवस्था की जासके तो उसके लिए आप कम चिन्तित भी नहीं हैं। हमारा विश्वास है कि दोनों के बीच किसी प्रकार का समझौता होना तभी सम्भव है जब सरकार को दमन से और नेताओं को आन्दोलन से विश्राम मिले और दमन उसी अवस्था में रुक सकता है जब देश के नेता आन्दोलन को स्थगित करें। इसलिए आप से प्रार्थना है कि

मि० गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलने की हमें आज्ञा प्रदान करें, जिससे हम उनके सामने अपने विचारों को उपस्थित कर सकें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे अनुरोध पर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होने का अवसर दें जिससे समझौते की व्यवस्था की जासके।

हम यहां, यह स्पष्ट करदेना चाहते हैं कि उन लोगों के पास हमारा जाना हम लोगों ही की तरफ़ से होगा। इसका न तो कोई सम्बन्ध सरकार के उत्तरदायित्व से होगा और न देश की किसी पार्टी से। यदि हम अपने प्रयत्नों में सफल न हुए तो उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही होगा। क्या इसके सम्बन्ध में अनुग्रह पूर्वक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे जिससे हम जेलों में इन नेताओं से भेंट कर सकें? इसके साथ ही हमारी यह भी प्रार्थना है कि हमारी सुविधाओं और आवश्यकताओं के लिए प्रान्तीय सरकारों को आप आज्ञा देदें जिससे हम उनसे आवश्यक सुविधाएं पासकें।

इसके अतिरिक्त हमारी एक प्रार्थना और है, कि यदि हमारी ये सब बातें स्वीकार हों तो हमें यह अधिकार दिया जाय कि जेलों में हम इन नेताओं से निजी तौर से मिल सकें। जिस समय हम उनसे मिलें और बातें करें उस

समय वहाँ कोई सरकारी अफ़सर अथवा आदमी न हो। इसके सम्बन्ध में, यथासम्भव शीघ्र उनसे मिलने के लिए हम जाना चाहते हैं।

इस पत्र का जवाब मि० जयकर के नाम सीसिल होटल के पते पर मिलना चाहिए।

आप का शुभचिन्तक—

तेज बहादुर स

एम० आर० जयकर

वाइसराय का उत्तर

डाक्टर सप्रू और मि० जयकर का पत्र पाकर वाइसराय ने उनको निम्नलिखित उत्तर दिया—

वाइसरीगल लौज

शिमला, १६ जुलाई १९३०

प्रिय मि० जयकर,

आप का १३ जुलाई का पत्र मिला, जिस में आप ने और सर तेज बहादुर सप्रू ने देश में शान्ति की व्यवस्था करने के लिए अपनी अभिलाषा प्रकट की है और उसके उद्देश्य की

सिद्धि के लिए मि० गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, और पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए आज्ञा-मांगी है। गत ६ जुलाई को लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली में मैंने जो भाषण दिया था उसमें मैंने अपने और अपनी सरकार के उन विचारों को प्रकट किया था जो देश के आन्दोलन के सम्बन्ध में हैं। यह आन्दोलन देश की भिन्न-भिन्न जातियों, समाजों और संस्थाओं को जिस प्रकार का आघात पहुँचा रहा है उसको देखकर, उनकी सहायता के लिए इसका विरोध करना सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है और अपनी शक्ति-भर उसको दबाने की चेष्टा करती है। आप का यह कहना सही है कि हम एक ऐसे मार्ग के पैदा करने में बहुत चिन्तित हो रहे हैं जिससे सब का उपकार हो और जो सभी को स्वीकार हो। मेरे लिए यह किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि भविष्य में बृटिश-सरकार भारत के लिए जो कर सकेगी, उसके लिये मैं आज प्रस्ताव करूं। सरकार को स्टेट्यूटरी कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना है, राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स के निर्णय को देखना है और उसके बाद भी पार्लामेंट का निश्चय होना है। यह सब होते हुए भी मैंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से बताया था कि अपने देश में प्रबंध करने के अधिकारों को प्राप्त करने में भारत के लोग जो चेष्टा करेंगे उसमें उनकी सहायता करना मेरा और मेरी गवर्नमेण्ट का कर्तव्य है जिसके लिए सरकार

को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है किन्तु वहीं तक जहाँ तक वह उचित और भारत के लोगों के सामर्थ्य के भीतर है और जिसके सम्बन्ध में यह निश्चित है कि वे लोग उसका उत्तर-दायित्व लेने के लिए अभी समर्थ नहीं हैं। अस्तु जो कुछ भी यह है और जो कुछ भी हो सकता है वह सब, यही अच्छा होगा कि, कान्फरेन्स के द्वारा हो। मेरा विश्वास है कि बिना एक दूसरे पर विश्वास किये, दोनों के बीच किसी प्रकार समझौता होना असंभव है। किन्तु उस अवस्था में, जब आप अपनी सहायता से देश की इस अवस्था को शान्त करना चाहते हैं, मेरे और मेरी गवर्नमेंट के लिए यह अच्छा न होगा कि आप के प्रयत्नों में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न की जाय। मैं स्वयं इसे उचित नहीं समझता कि जो मेरी सरकार के शुभचिन्तक होकर कुछ करना चाहें उससे लाभ न उठाया जाय। आप का पत्र पाकर प्रान्तीय सरकारों को, जो इस मामले से सम्बन्ध रक्खेंगी, मैं लिखे देता हूं और उनको आवश्यक हिदायतें किये देता हूं जो देश में शान्ति की व्यवस्था करने में, आप के लिए सहायक हो सकें।

आप का शुभेच्छु—

इरविन

यरवदा-जेल में

तारीख़ २३ जुलाई को सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर महात्मा गांधी से मिलने के लिए यरवदा-जेल गये और महात्मा जी से मिलकर और बातें करके ता० २४ जुलाई को उन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया—

हम लोग यरवदा-जेल पहुँच कर महात्मा गांधी से मिले और ता० २३, २४ को दो दिन उनसे बातें कीं। जिस लिए हम महात्मा जी के पास आये थे, उस पर हम लोगों ने उनसे काफ़ी बातें कीं। जो कुछ हमको उनसे कहना था वह सब अपनी समझ में हमने उनके सामने उपस्थित किया। महात्मा जी ने पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू के लिए पत्र दिया है। उस पत्र में महात्मा जी का लिखा हुआ संदेश लेकर हम इलाहाबाद को रवाना हो रहे हैं।

नैनी-जेल में

यरवदा-जेल में महात्मा गांधी से बिदा होकर सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर इलाहाबाद को रवाना हो गये। ता० २८ जुलाई को नैनी-जेल में पहुँच कर पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने भेंट की। उनसे मिलकर और बातें समाप्त कर सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया, वह इस प्रकार है—

हम लोग पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से नैनी-जेल में आकर आज ता० २८ जुलाई को मिले और चार घण्टे तक लगातार उनसे बातें करते रहे। हमने विस्तार पूर्वक सभी बातें उनके सामने रक्खीं और एक-एक विषय पर उनसे ख़ूब, बातें कीं। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम एक पत्र लिखकर दिया है जिसको लेकर मि० जयकर बम्बई होते हुए पूना के लिए कल रवाना हो जावेंगे। समझौते की जो स्थिति हमारे सामने है उस पर अभी अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता।

सर सप्रू का वक्तव्य

नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलकर सर तेजबहादुर सप्रू जिस नतीजे पर पहुंचे, उसके आधार पर उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उसमें वाइसराय से प्रार्थना करते हुए उन्होंने लिखा—

समझौते की व्यवस्था करने के लिए मि० जयकर के साथ यरवदा-जेल में महात्मा गांधी से मैं मिला और उसके बाद, इलाहाबाद आकर, नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू

और पं० जवाहर लाल नेहरू से भेंट की। मैं अत्यन्त सादगी और नम्रता के साथ वाइसराय साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर लाल नेहरू तथा कुछ अन्य नेताओं को, जिनको वे लोग स्वीकार करें, महात्मा गांधी से मिलने की आज्ञा प्रदान करें जिससे महात्मा गांधी के साथ मिलने वाले नेता समझौते की परि-स्थिति पर, परस्पर परामर्श कर सकें।

अभी तक समझौते के सम्बन्ध में नेताओं क साथ जेलों में जा कुछ बातें हुई हैं वे आगे बढ़ने में असमर्थ-सी जान पड़ती हैं।

समझौते के सम्बन्ध में अभी और अधिक कुछ नहीं लिखा जा सकता।

मि० जयकर और महात्मा जी

नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलकर और उनका पत्र लेकर मि० जयकर पूना के लिए रवाना हो गये थे। आज ता० ३१ जुलाई को वे प्रातः काल यरवदा-जेल में महात्मा गाँधी से मिले और दो घण्टे तक लगातार बातें करते रहे। इसके पश्चात् कल के लिए वे बातें स्थगित करदी गयीं।

दूसरे दिन मि० जयकर महात्मा गांधी से जेल में फिर मिले और दोपहर को २ बजे से लेकर ३ बजकर ३० मिनिट तक उनसे बातें करते रहे। बातें समाप्त कर मि० जयकर ने अपना निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया—

फ़िल हाल जो कुछ मुझे महात्मा जी से बातें करनी थीं वे समाप्त हो गयीं। अब हम वाइसराय के उस फ़ैसले का रास्ता देख रहे हैं जो तीन नेताओं को यरवदा-जेल में इकट्ठा करने केलिए सर तेज बहादुर सप्रू और मेरे किये गये प्रस्ताव पर होगा।

वाइसराय की मंजूरी

महात्मा जी के साथ परामर्श के लिए, नेताओं को मिलाने के सम्बन्ध में सर तेज बहादुर सप्रू ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया था उस पर वाइसराय की मंज़ूरी की चर्चा देश में चारों तरफ़ हो रही थी। जहाँ तक पता चलता था, वहाँ तक मालूम होता था कि सर सप्रू का यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जायगा और जेल में महात्मा गांधी के साथ समझौते पर परामर्श करने के लिए नेताओं का सम्मेलन होगा। जिस समय ये सब बातें चारों ओर फैल रहीं थीं, उसी समय शिमला से ५ अगस्त को एक तार प्रकाशित हुआ, उसमें लिखा था—

यरवदा-जेल में महात्मा गांधी के साथ समझौते पर बातचीत करने के लिए वाइसराय ने पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू का भेजना स्वीकार कर लिया है।

———

महात्मा जी से परामर्श

तारीख़ ८ अगस्त को सर तेज बहादुर सप्रू लखनऊ से रवाना होकर इलाहाबाद आये और नैनी-जेल में पं मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। एसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि से बातें करते हुए सर सप्रू ने कहा—

यरवदा-जेल में महात्मा गांधी से मिलने के लिए पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू के भेजने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं वे कदाचित समय से कुछ पूर्व मालूम पड़ते हैं! मैं आज भी नैनी जेल में पण्डित मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से मिल चुका हूं। किन्तु समझौते के सम्बन्ध में जो कुछ बातें हुई हैं उनके विषय में वाइसराय से पत्र-व्यवहार करने में बिल्कुल चुप हूं।

महात्मा गाँधी से मिलने के लिए पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू का यरवदा-जेल जाना तो निश्चित होगया किन्तु किस तारीख़ को ये लोग रवाना होंगे, यह अभी तक नहीं मालूम; यह भी मालूम हुआ है कि नैनी-जेल के इन दोनों नेताओं के साथ डाक्टर महमूद भी बात-चीत के लिए यरवदा-जेल भेजे जावेंगे।

नैनी-जेल से रवानगी

पण्डित मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर लाल नेहरू और डा० महमूद का नैनी-जेल से महात्मा गाँधी के पास जाना मंज़ूर किया जा चुका था। किन्तु उनके जाने की कोई भी सूचना प्रकट नहीं की गयी और न यही प्रकट किया गया कि कब, किन तारीख़ों में वे महात्मा गाँधी से मिलाए जाएंगे। इन सब बातों को गुप्त रखने का एक मात्र यही अभिप्राय था कि जिससे सर्वसाधारण की भीड़-भाड़ न हो।

यह तो निश्चित ही था कि नैनी-जेल से नेताओं की रवानगी हाल ही में होने वाली है और किसी न किसी समय यह समाचार ज़ाहिर हो ही सकता है कि वे लोग नैनी-जेल से रवाना होगये। इसलिये सार्वजनिक भीड़-भाड़ और दिखावे का मौक़ा न देने के लिए निश्चित किया गया कि मामूली यात्रियों की भाँति साधारण रेलगाड़ी में वे न भेजें जाँय। यह भी मालूम हुआ कि सर तेज बहादुर सप्रू भी उनके साथ ही यरवदा-जेल जांयगे।

महात्मा जी के पास

नैनी-जेल से पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और डा० महमूद मोटर लारियों पर गुप्त रूप से, इलाहाबाद स्टेशन लाए गये और वहां से स्पेशल ट्रेन में बिठा कर पूना के लिए रवाना कर दिये गये। ये लोग जिस समय किरकी स्टेशन पहुँचे उस समय आधी रात का समय था। वहां से वे यरवदा-जेल को पहुँचाये गये।

इस प्रकार ता० १२ अगस्त को नैनी-जेल से चलकर ये नेता महात्मा जी के पास यरवदा-जेल पहुँच गये। ता० १३ अगस्त को समझौते के सम्बन्ध में महात्मा जी के साथ कांग्रेस के नेताओं की बातचीत शुरू हुई और पांच घण्टे तक बराबर बातचीत होती रही। इस बातचीत में महात्मा गांधी के अतिरिक्त पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, मि० वल्लभभाई पटेल और मि० जयकर उपस्थित थे।

समझौते का रंग

तारीख़ १४ अगस्त को दोपहर के ३ बजे सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर यरवदा-जेल पहुंचे और दो घण्टे तक बराबर महात्मा जी के साथ समझौते के सम्बन्ध में बातें करते रहे। महात्मा जी के अतिरिक्त वहां पर पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल, मि० जैराम दास दौलत राम और श्रीमती नायडू मौजूद थीं। ये सब लोग कांग्रेस कार्य-कारिणी कमेटी के सभासद थे और इनमें से चार, काँग्रेस के भूत पूर्व सभापति हैं।

कहा जाता है, कि सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर के पहुंचने के पूर्व महात्मा जी के साथ काँग्रेस के नेताओं की कुछ देर तक, बातचीत हो चुकी थी। जिस समय सर सप्रू और मि० जयकरजेल से वापस आये, उस समय उनकी अवस्था साधारण न थी, उनकी मुखाकृति पर कुछ और ही भाव दिखाई पड़ते थे।

ता० १५ अगस्त को यरवदा-जेल के फाटक का दृश्य रोज़ की भाँति न था। सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर यरवदा-जेल में महात्मा जी के पास निश्चित समय से आध घण्टा देर करके पहुंचे। श्रीमती नायडू ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया। जिस कमरे में यह बातचीत हो रही थी, वह बिल्कुल फाटक के पास था और कमरे में तीन ओर से खिड़कियां थीं। दो खिड़कियां सड़क की ओर थीं जो आज बिल्कुल बन्द रक्खी गयीं थीं। यह दोनों खिड़कियां कल की बातचीत के समय बिल्कुल खुली थीं। इन खिड़कियों के सामने सड़क पर खड़े हुए कुछ प्रेस-मैन उत्सुकता प्रकट कर रहे थे और उनको देखकर सरदार बल्लभभाई पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू और मि० जैराम दास दौलत राम अपने हाथों को हिलाकर कुछ संकेत-सा कर रहे थे, उनके इन हाथों के हिलाने का अभिप्राय समझ

कर प्रेस के आदमियों ने उत्तर भी दे दिया था। कदाचित् इन सब बातों को देखकर ही आज यह खिड़कियाँ बन्द रक्खी गयीं थीं। आज की बातचीत समाप्त होने के बाद सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने अपना निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया—

इस बार यहाँ की यात्रा में हमने तीन बार काँग्रेस के नेताओं से यरवदा-जेल में भेंट की। समझौते के संबंध में अपनी बातों को व्यक्त करते हुए काँग्रेस-नेताओं ने एक पत्र लिखकर दिया है जिस पर विचार करने के लिए उसे हम वाइसराय के पास भेज रहे हैं।

यरवदा-जेल से नैनी-जेल को

पंडित मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू पुलीस के अधिकार में एक स्पेशल ट्रेन में बिठाकर यरवदा-जेल से इलाहाबाद के लिए रवाना कर दिये गये।

मि० जयकर यरवदा-जेल में काँग्रेस के नेताओं से बिदा होकर वाइसराय से मिलने के लिए बम्बई को रवाना होगये। सर तेज बहादुर सप्रू अपने ज़रूरी काम से हैदराबाद (दक्खिन) चले गये।

यरवदा-जेल से वाइसराय के पास कांग्रेस के नेताओं का

पत्र रवाना होने पर सर सप्रू और मि० जयकर ने वाइसराय को एक पत्र लिखा था जिसमें प्रकट किया था कि यरवदा-जेल से जो पत्र भेजा गया है उसपर किसी प्रकार का निर्णय उस समय तक न करें जब तक कि हम दोनों आदमी आप के पास आकर यरवदा-जेल में होने वाली बातों के संबंध में प्रकाश न डाल सकें।

यरवदा-जेल में कांग्रेस के नेताओं के साथ सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर की बातें होचुकने पर भी यद्यपि समझौते की स्थिति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाला गया, फिर भी देश में चारों तरफ़ उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की कल्पनाएँ की जाने लगीं। "इण्डियन डेली मेल" नामक अंग्रेज़ी दैनिक पत्र ने तो यहां तक लिख डाला कि कांग्रेस के नेताओं का जो पत्र वाइसराय के पास भेजा गया है उसमें कुछ तो वही शर्तें हैं जो महात्मा गांधी और पं० मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित होचुकी हैं।

वाइसराय के पास कांग्रेस के नेताओं का जो पत्र रवाना किया गया, उस पर सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर को वाइसराय के सामने प्रकाश डालने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी ? इसपर देश में तरह-तरह की बातें की जाने लगीं। कुछ लोगों ने तो कह डाला कि समझौते के सम्बन्ध में दोनों

ओर से जो बातचीत होरही है उसमें अभी तक कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आयीं जिनके आधार पर यह विश्वास किया जाय कि समझौता होसकेगा।

सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने महात्मा गांधी से इस बात की आज्ञा लेली कि समझौते के सम्बन्ध में वाइसराय और कांग्रेस के नेताओं के बीच जो पत्र-व्यवहार होरहा है समझौता समाप्त हो जाने पर वह सब का सब प्रकाशित कर दिया जाय।

वाइसराय और मि० जयकर

तारीख़ २१ अगस्त को यरवदा-जेल से भेजा हुआ कांग्रेस के नेताओं का सन्धि का पत्र पोस्ट-आफ़िस के द्वारा वाइसराय को मिला। यरवदा-जेल से चलकर मि० जयकर भी वाइसराय के पास शिमला पहुंच गये किन्तु उस आए हुए पत्र और यरवदा-जेल में होनेवाली बातचीत के सम्बन्ध में, बातें करने के लिए मि० जयकर ने वाइसराय से साफ़ इनकार कर दिया और उस समय तक के लिए उसपर बातें करना स्थगित रक्खा जब तक कि सर तेज बहादुर सप्रू

आकर इन बातों में भाग न लें। डाक्टर सप्रू के ता० २५ अगस्त को शिमला आने का समाचार मिला। मि० जयकर इन दिनों में शिमला में ही ठहरे और समय-समय पर कांग्रेस के नेताओं की शर्तों को छोड़कर अन्य बातों पर वाइसराय से बातें भी करते रहे। मि० जयकर के द्वारा वाइसराय ने यह जानने की ख़ूब चेष्टा की कि यरवदा-जेल में समझौते की बातचीत के समय महात्मा गांधी की अवस्था क्या थी।

समझौते के सम्बन्ध में वाइसराय की तरफ़ से जो कुछ भाग लिया गया, उसको अन्त तक गुप्त रखने की चेष्टा की गय ।

समझौते की शर्तों पर वाइसराय

नेताओं की शर्तों का पत्र पाकर शिमले में वाइसराय ने अपने मन्त्रि-मण्डल के साथ उसपर विचार किया और समझौते की स्थिति पर जितनी गम्भीरता तक जासकते थे जाने की चेष्टा की। शर्तों के सम्बन्ध में वाइसराय और उनके मन्त्रि-मण्डल की जो अवस्था हुई उसको व्यक्त करते हुए, शिमला की पोलिटिकल सर्किल्स के द्वारा प्रकाशित हुआ कि महात्मा गांधी और पं० मोतीलाल की ये शर्तें लन्दन में होने वाली कान्फेरन्स से सम्बन्ध रखती हैं।

समझौते के संबंध में नेताओं ने अपनी जो शर्तें प्रकट की और उनपर वाइसराय तथा उनके मन्त्रि-मण्डल ने उस पर जो विचार किया और जहां तक वह मालूम हुआ, उससे समझौते की सम्भावना बहुत अंशों में मारी गयी। वाइसराय के मन्त्रि-मण्डल में जो वादविवाद हुआ और उसके सभासदों ने जो अपने विचार प्रकट किये, उनसे समझौते को कुछ भी सहायता मिलने में आशा न रही।

शिमले में वाइसराय और उनके मन्त्रियों का केवल एक यही अभिप्राय प्रकट हुआ कि देश का यह आन्दोलन किसी प्रकार नष्ट कर दिया जाय।

———

नेताओं से फिर भेंट

शिमला में वाइसराय से बातचीत करके और समझौते के संबंध में आवश्यक क़ाग़ज-पत्र लेकर सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर इलाहाबाद के लिए रवाना होगये। उन्होंने निश्चय किया कि समझौते के सम्बन्ध में जो स्थिति हमारे सामने है, उसपर विचार करने के लिए नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू और यरवदा-जेल में महात्मा गांधी से मिलना आवश्यक है। उन्होंने यह भी अनुमान

लगाया कि समझौते के सम्बन्ध में शिमला के समाचार असंतोष जनक नहीं हैं।

जहां तक मालुम हुआ, सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर की इच्छा थी कि दोनों ओर से थोड़ी-सी ग़लत-फ़हमी दूर कर दी जाय और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाय जिससे कांग्रेस के नेता लन्दन में होने वाली कान्फरेन्स में सम्मिलित हो सकें। समझौता करानेवाले दोनों महानुभावों की यह इच्छा कहां तक पूर्ण हुई, इसका पूर्ण रूप से उत्तर तो पाठकों को आगे चलकर मिलेगा किन्तु लन्दन की कान्फरेन्स में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने जो वहिष्कार किया है उसको हटाकर कान्फरेन्स में सम्मिलित होनेके सम्बन्ध में सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर जो प्रयत्न कर सकते थे उसके लिए समझौते के नाम पर उनको एक सुअवसर प्राप्त होगया।

शिमला में सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर के साथ वाइसराय की जो बातें हुईं और समझौते के सम्बन्ध में वाइसराय जिस नतीजे पर पहुँचे, उसपर उन्होंने स्वयं लिखकर कोई पत्र अथवा शर्तनामा नहीं दिया वरन् सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर को इस बात का अधिकार दिया कि वे उनकी बातों को लिखकर अपने साथ रख सकते हैं।

शिमला छोड़कर इलाहाबाद को रवाना होते हुए सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर को विशेष रूप से संतोष नहीं हुआ। उनकी धारणा थी कि शिमले में जो कुछ हुआ उसपर एक दम हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू पर अपना प्रभाव डालने की चेष्टा की। पं० जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो वे जानते थे कि वे किसी के बस में नहीं हैं किन्तु पं० मोतीलाल नेहरू से उनको किसी प्रकार आशा थी। महात्मा गांधी के व्यवहारों में जो सरलता और सुशीलता की उन्होंने झलक देखी थी वह भी सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर की आशा को जीवित रखने में कम सहायता न करती थी।

नैनी-जेल में समझौते पर बातचीत

तारीख़ ३० अगस्त को सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ से नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू से भेंट करने के लिए रवाना हो गए।

दोपहर के बाद ३ बजे सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। ३ बजकर १५ मिनट पर वहां बातचीत प्रारम्भ हुई और ६ बजकर ४५ मिनट पर सन्ध्या-काल समाप्त हुई। अंत में दूसरे दिन के लिए मिलना और बातचीत करना स्थगित किया गया।

सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने नैनी-जेल में दूसरे दिन फिर पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहर-लाल नेहरू से भेंट की। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बातचीत के अंत में महात्मा जी के नाम एक पत्र दिया, जिसको लेकर सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने यरवदा-जेल में महात्मा जी से बातचीत की।

समझौते का अंतिम जवाब महात्मा जी देंगे।

सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर इलाहाबाद से बम्बई होते हुए पूना के लिये रवाना हो गये। बम्बई पहुँचने पर उनको इधर-उधर उड़नेवाली उन बातों का समाचार मिला जिनमें कहा जाता था कि समझौते की बातचीत समाप्त हो गयी। सर तेजबहादुर सप्रू ने इन अफ़वाहों का विरोध किया और बताया कि पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र लेकर हम और मि० जयकर यरवदा-जेल में महात्मा जी से बातचीत करने के लिए जा

रहे हैं। जब तक हम महात्मा जी से बातचीत न कर लें तब तक समझौता समाप्त नहीं समझा जा सकता।

समझौते की बातचीत समाप्त हो जाने पर दोनों ओर से जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह सब प्रकाशित कर दिया जायगा किन्तु वह समझौता तब तक किसी प्रकार समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि हम महात्मा गाँधी से फिर एक बार भेंट न कर लें।

इसी प्रकार का विरोध करते हुए मि० जयकर ने कहा—यदि समझौते की बातचीत समाप्त हो गई होती तो फिर हमको पूना जाने की क्या ज़रूरत थी। वास्तव में बात यह है कि जब तक इस बार हम महात्मा गाँधी से बातचीत न कर लें तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर की बातों से जहाँ तक पता चलता था वहाँ तक मालूम होता था कि समझौता होने और न होने के निर्णय का अब अंतिम समय है। यह भी मालूम होता था कि समझौता स्वीकार करने और न करने का अंतिम जवाब महात्मा गाँधी ही देंगे।

सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर, मि० रङ्गास्वामी ऐयंगर के साथ ता० २ सितम्बर को रात को पूना पहुंचे। उन्होंने दूसरे दिन सबेरे ११ बजे यरवदा-जेल में महात्मा गाँधी से भेंट की।

जिस समय सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर पूना पहुंचे, उस समय उनको शिमला से भेजा हुआ एक तार मिला, जिसमें उनसे कहा गया कि पूना पहुंचकर सब से पहले वहाँ के गवर्नर से भेंट करें।

तार पाकर सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर बम्बई के गवर्नर से मिलने के लिए पूना में उसके बंगले में गये और रात को ८ बज कर ४० मिनट पर उससे भेंट की। १५ मिनट तक उससे बातें कर चुकने पर सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर वहां से चले आए। वहां पर क्या बातें हुईं यह कुछ नहीं मालूम हुआ। कहा जाता है कि बम्बई गवर्नर की यह बातचीत समझौते के सम्बंध में ही थी।

महात्मा जी के साथ परामर्श

तारीख़ ३ सितम्बर को सवेरे ११ बजे सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर, मि० रङ्गास्वामी ऐयंगर के साथ यरवदा-जेल पहुंचे। वहां लेडीज़ वार्ड में श्रीमती नायडू से डेढ़ घन्टे से अधिक देर तक बातें करते रहे और अंत में श्रीमती नायडू को साथ लेकर सेन्ट्रल जेल में महात्मा जी के पास गये वहां ११ बजकर ३० मिनट से लेकर दोपहर के बाद ४ बजे तक बराबर होती रही। बातचीत समाप्त करके जिस समय सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर वहां से वापस हुए उन

समय उनके मुख पर प्रसन्नता का आभास न था। उनके मुख-मण्डल सूखे हुए और हताश दिखाई दे रहे थे। दूसरे दिन ११ बज कर १५ मिनट पर सुबह फिर बातचीत करने के लिए निश्चय रहा।

बातचीत के समय आरम्भ से लेकर अंत तक श्रीमती नायडू वहाँ उपस्थित रहीं।

सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर श्रीमती नायडू के साथ सेन्ट्रल जेल से चले आये श्रीमती नायडू इन महानुभावों के साथ से अलग होकर जिस समय अपने लेडीज़ वार्ड में जाने लगीं उस समय उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, यद्यपि सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर उस समय भी उदास हो रहे थे।

———

समझौता करने से महात्मा जी ने इनकार किया।

यरवदा-जेल में समझौते की बातचीत आज ता० ४ सितम्बर को समाप्त होगयी। सुबह ११ बजकर ३० मिनट पर बातचीत आरम्भ हुई थी और ३ घंटे में उसका अंत होगया। वाइसराय जिस आधार पर समझौता करना चाहते थे, महात्मा जी ने उससे साफ़ इनकार कर दिया।

दोपहर को २ बजकर ३० मिनट पर सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर महात्मा जी के साथ बातचीत समाप्त

करके यरवदा सेन्ट्रल जेल से बाहर आए और वहां पर उपस्थित पत्र-प्रतिनिधियों को देखकर मि० जयकर ने एक अद्भुत हँसी के साथ मुस्करा दिया।

डाक्टर सप्रू और मि० जयकर के उठ आने पर भी श्रीमती नायडू, वहीं बैठी रहीं और समझौते के संबंध में महात्मा जी के साथ बातें करती रहीं।

उस समय निश्चय हुआ कि दूसरे दिन दोपहर को १ बजे से फिर इसके संबंध में बैठक होगी और उसमें महात्मा जी अपना अंतिम उत्तर काँग्रेस के अन्य नेताओं से परामर्श लेकर सर सप्रू और मि० जयकर को लिखकर देदें और उसके पश्चात् यह समस्त कार्यवाही प्रकाशनार्थ देदी जाय।

समझौते को कोशिश बेकार होगयी

दूसरे दिन ता० ५ सितम्बर को महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर की फिर बैठक हुई एक घण्टे से अधिक देरतक बातें होती रहीं और अंत में बैठक को समाप्त करके सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने एसोसियेटेड प्रेस के नाम अपना निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया—

दुख के साथ हमें यह प्रकाशित करना पड़ता है कि समझौते के सम्बन्ध में जो इस समय बातचीत चल रही थी वह समाप्त होगयी किन्तु समझौता न होसका। समझौते के लिए जो कुछ कोशिश की गयी थी वह सब बेकार गयी। इसके संबंध में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह सब प्रकाशित करने के लिए आज या कल देदिया जायगा।

समझौते पर पत्र-व्यवहार

समझौते की बात कैसे आरम्भ हुई

जिस समझौते के लिए सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर को बराबर कोशिश करनी पड़ी उसकी जड़ कैसे पड़ी, इस बात को प्रकट करते हुए सर सप्रू और मि० जयकर ने लिखा है—

गत २० जून, १९३०, को पंडित मोतीलाल नेहरू ने डेली

हेरल्ड (लंडन) के विशेष पत्र-प्रतिनिधि मि० स्लोकोम्ब से भेंट की और उसके साथ बम्बई में पंडित मोतीलाल जी ने जो बातें कीं, उसके फल-स्वरूप मि० स्लोकोम्ब ने पंडित मोतीलाल जी की शर्तों पर एक मज़मून लिखा। वह मज़मून बम्बई में मि० जयकर और मि० स्लोकोम्ब की उपस्थिति में पंडित मोतीलाल जी ने स्वीकृत किया। इन स्वीकृत शर्तों की एक कापी मि० स्लोकोम्ब ने मि० जयकर के पास और एक कापी शिमला में डाक्टर सप्रू के पास रवाना की और उन स्वीकृत शर्तों के आधार पर वाइसराय के साथ समझौता कराने का अभिप्राय प्रकट करते हुए मि० स्लोकोम्ब ने पंडित मोतीलाल नेहरू से बातचीत की।

शर्तों का जो मज़मून ता० २५ जून १९३० को पंडित मोतीलाल नेहरू को बम्बई में दिया गया और जिसके सम्बन्ध में विशेष रूप से वाइसराय को भी जानकारी प्राप्त करा दी गयी थी, वह इस प्रकार है—

यदि कुछ विशेष अवस्थाओं में, भारत सरकार और ब्रिटिश-गवर्नमेंट हमारी उस स्वाधीनता का समर्थन करने में आज असमर्थ है, जो राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स में निश्चित होगी अथवा जो ब्रिटिश-पार्लमेन्ट को भारत के लिए करना पड़ेगा तो भी एक प्रकार से भारत-सरकार की ओर से इस प्रकार का विश्वास मिलने की आवश्यकता है जो भारतवर्ष

के उस उत्तरदायित्व पूर्ण शासन का समर्थन करे जो उसकी विशेष आवश्यकताओं और अवस्थाओं की मांग हो और जिसको उसने ग्रेट-ब्रिटेन के लम्बे-चौड़े सहयोग-काल में पैदा किया हो एवम् जिसकी पूर्ति और स्वीकृति राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स के द्वारा होनी हो। इसका विश्वास दिलाने पर और एक तीसरी पार्टी के उस विश्वास की ज़िम्मेदारी लेने पर, महात्मा गाँधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से पंडित मोतीलाल नेहरू अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेंगे। यदि इस प्रकार के विश्वास दिलाए गये और वे स्वीकृत भी होगये तो किसी प्रकार संधि सम्भव होसकेगी। उसके आधार पर, कुछ शर्तों के साथ एक ओर सत्याग्रह-आन्दोलन वापस लिया जायगा और दूसरी ओर सरकार का दमन बन्द होकर समस्त राजनीतिक क़ैदी छोड़े जायगे और अंत में इस संधि की शर्तों के अनुकूल, राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स में, कांग्रेस का अनुसरण करना होगा।

संधि की उपर्युक्त शर्तों के आधार पर, सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने शिमला में वाइसराय से भेंट की। उस भेंट में जो उनसे बातचीत हुई, उसमें उन्होंने देश की वर्त्तमान अवस्था पर प्रकाश डाला और उसी आधार पर वाइसराय के नाम सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने गत १३ जुलाई को एक पत्र लिखा। वह पत्र और उसपर

वाइसराय का उत्तर, समझौते की कथा प्रारम्भ होने के पूर्व ही दिया जाचुका है।

महात्मा जी से भेंट

वाइसराय का पत्र पाकर सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर यरवदा-जेल में महात्मा गांधी से मिले और पंडित मोतीलाल नेहरू की स्वीकृत शर्तें तथा वाइसराय का दिया हुआ उत्तर २३, २४ जुलाई को महात्मा जी के सामने उपस्थित किया। महात्मा जी से सर सप्रू और मि० जयकर ने जो बातें कीं, उनमें उन्होंने महात्मा जी को, परिस्थिति पर सब बातें बताईं और उसके संबंध में वाइसराय से जो बातें हुईं थीं, उनको भी प्रकट किया। इस पर महात्मा जी ने

अपनी शर्तों के सम्बन्ध में एक नोट और एक पत्र जो नीचे प्रकाशित किया जाता है, लिखकर नैनी-जेल में पंडित मोती-लाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए दिया।

महात्मा जी की शर्तें

(१) यह प्रश्न जहां तक मुझसे सम्बन्ध रखता है, वहां तक मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यदि राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स में स्वाधीनता का प्रस्ताव रखने पर वह ग़ैरकानूनी क़रार न दे दिया जाय बल्कि राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स के नियुक्त करने का अर्थ ही यह हो कि वह उत्तर दायित्व पूर्ण शासन के विधान और उसकी व्यवस्था पर विचार करे तो हमें उस पर कुछ एत-राज़ न करना चाहिए। काँग्रेस के कान्फरेन्स में सम्मिलित होने के संबंध में पूर्ण रूप से मुझे संतुष्ट होजाना चाहिए।

(२) यदि राउण्ड टेबुल कान्फ़रेन्स के संबंध में कांग्रेस को पूर्ण रूप से संतोष हो जायगा तो सत्याग्रह-आन्दोलन अपने आप रुक जायगा किंतु विदेशी कपड़े और शराब के वहिष्कार का शान्तिपूर्ण कार्य फिर भी होता रहेगा और तब तक बराबर होता रहेगा जब तक कि

सरकार स्वयं विदेशी कपड़ा और शराब का आना बन्द न कर देगी। सर्वसाधारण में नमक का बनाना बराबर जारी रहेगा और नमक कानून का कुछ भी उपयोग न हो सकेगा, किन्तु सरकारी नमक के कारखानों अथवा प्राईवेट नमक की दूकानों पर धावा न होगा। मैं इस बात पर भी राज़ी हूं कि इसपर कोई दफ़ा न रखकर केवल जानकारी के लिए इसको लिख लिया जाय।

(३)अ—सत्याग्रह आन्दोलन की रुकावट के साथ ही, सत्याग्रही और राजनीतिक क़ैदियों को, जो किसी हत्या अथवा क्रान्ति के अपराध में अपराधी नहीं हैं, चाहे वे सज़ा में हों और चाहे हिरासत में, छोड़ देने का आर्डर हो जाना चाहिए।

ब—जो रियासत अथवा सम्पत्ति नमक क़ानून, प्रेस ऐक्ट और मालगुज़ारी के क़ानून के अनुसार ज़ब्त हो गई है वह वापस दे दी जाय।

स—जुर्मानों और ज़मानतों की रक़में जो सत्याग्रहियों तथा प्रेस-ऐक्ट के बमूजिब लोगों से ली गई हैं वे वापस देदी जांय।

द—आन्दोलन के कारण जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से तथा सरकारी संबंधों से त्याग-पत्र दे दिये हैं उनमें

से जो लोग अपने इस्तीफे वापस लेकर सरकारी नौकरी या अपना वह संबन्ध फिर क़ायम रखना चाहें, तो वे स्वीकार किए जांय।

ङ—वाइसराय के बनाए हुए आर्डीनेन्स हटा दिये जाँय।

मेरे ये विचार एक क़ैदी के विचार हैं, क्योंकि मैं एक क़ैदी की हैसियत में हूं जो इस बात का कोई हक़ नहीं रखता कि वह राजनीतिक मामलों में अपने विचारों को प्रकट कर सके, क्योंकि जिसके संबन्ध में वह अपने विचार प्रकट करेगा उससे वह अलग करके जेल के तालों के भीतर बन्द कर दिया गया है; उसके संबन्ध में उसकी अब कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे विचार ही, इसके संबन्ध में अंतिम विचार नहीं हैं। मेरा तो इसके लिए तभी दावा हो सकता है जब मैं आन्दोलन के साथ होता। मि० जयकर और डा० सप्रू को चाहिए कि वे इसके संबन्ध में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार बल्लभ भाई पटेल को तथा उन लोगों को समझावें जो आन्दोलन के इञ्चार्ज हैं।

यदि शर्तें मंज़ूर हो जांय तो मुझे कान्फ़रेन्स में सम्मिलित होने के संबन्ध में चिन्तना न करना चाहिए किंतु उसी अवस्था में जब जेल से निकलकर कान्फ़रेन्स में जाने वालों के साथ बातचीत करके अपनी मांग के कम-से-कम परिमाण

पर शर्तनामा हो जाय, जिस पर उनको कान्फ़रेन्स में प्रत्येक अवस्था में खड़ा होना पड़े। मेरे लिए वह अधिकार होगा कि यदि स्वराज्य के विधान की एक-एक बात के निश्चय करने का समय आजाय, तो मैं अपनी उन ग्यारह शर्तों * के आधार पर उसकी व्यवस्था करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझूं जिनका मैंने वायसराय के नाम लिखे हुए पत्र में ज़िक्र किया है।

२३ । ७ । ३० एम. के. गांधी

यरवदा सेन्ट्रल जेल

* स्वराज्य के सम्बन्ध में महात्मा जी ने ग्यारह शर्तें निश्चित की थीं और उन शर्तों को उन्होंने यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। उसके बाद वे शर्तें अनेक पत्रों में प्रकाशित हुई थीं : इस पुस्तक में, २ मार्च १९३० को लिखे हुए वाइसराय के नाम महात्मा जी के जिस पत्र को उद्धृत किया गया है, उस पत्र में, उन ग्यारह शर्तों का हवाला आ गया है।

महात्मा जी का पत्र

निम्नलिखित पत्र महात्मा गांधी ने पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम लिखकर बंद लिफ़ाफ़े में दिया—

जेल की दीवारों में बंद होने के कारण मेरी अवस्था कुछ ऐसी है कि मैं इस समझौते के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने अपने मित्रों को अपने विचारों का एक आधार दिया है, वह मुझे व्यक्तिगत संतोष देने के लिए है। आप यह नहीं जान सकते कि मि०

स्लोकोम्ब को मैंने जो लिखकर दिया है, जिस पर वे आप से बातें करना चाहते हैं, उसे देने की मेरी इच्छा न थी किन्तु मैं मि० स्लोकोम्ब की बात को टाल न सका और आप से मिलने के पहले ही उनको उसे प्रकाशित करने को दे दिया। उसके साथ ही उस आदर पूर्वक समझौते का रास्ता भी नहीं बन्द करना चाहता, यदि उसके होने के लिए समय अनुकूल हो, यद्यपि मैं इसमें बहुत अधिक सन्देह रखता हूं। ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूं कि जवाहरलाल का निर्णय ही इसके लिए अंतिम निर्णय होगा, उसके लिये उनको हम और आप केवल अपने विचार बता सकते हैं। सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर को जो कुछ मैंने लिखकर दिया है वह मेरे विचारों का प्रतिबिम्ब मात्र है, उस पर आप को और जवाहरलाल को विचार करना चाहिए कि वे लोगों की मांग और कांग्रेस के ध्येय की कहां तक रक्षा करते हैं। लाहौर-कांग्रेस ने स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पास किया था, उससे किसी प्रकार भी कम का समर्थन मुझे न करना चाहिए। मेरी लिखी हुई शर्तों की कुछ भी आवश्यकता नहीं है यदि आप दोनों के हृदयों से जो प्रतिध्वनि उठे वह किसी प्रकार उनसे कम न हो।

मैं समझता हूँ कि न तो आपको और न जवाहरलाल को मेरी उन ग्यारह शर्तों पर असंतोष हो सकता है जिनका

ज़िक्र मैंने वाइसराय को लिखे हुए पहले पत्र में किया है। यदि आप के विचारों में कुछ अंतर पड़ा हो तो मुझे नहीं मालूम। किन्तु मेरा अपना हृदय उनके संबंध में बिल्कुल साफ़ है। मेरे लिए वे स्वाधीनता का केवल संक्षिप्त रूप हैं। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र को वे तुरंत एक महान शक्ति प्रदान करने के योग्य नहीं हैं। मैंने अपने शर्तनामें में जिन तीन शर्तों का ज़िक्र किया है, वे केवल मेरी शर्तों का प्रारंभिक रूप हैं। उसका यह मतलब किसी प्रकार नहीं कि मैं शेष आठ शर्तों को छोड़ देना चाहता हूँ।

मैं ऐसी सन्धि न करूँगा जो क्षणस्थायी हो और उसका कुछ फल न निकले।

२३।७।३० आप का शुभचिन्तक

यरवदा-मंदिर एम० के० गांधी

महात्मा जी के नाम नेहरू का पत्र

महात्मा जी का पत्र लेकर ता० २७ और २८ जुलाई को सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहर लाल नेहरू से नैनी-जेल, इलाहाबाद में भेंट की। उन्होंने वाइसराय और महात्मा जी का पत्र तथा नोट पढ़कर, डा० सप्रू और मि० जयकर को दो, पत्र महात्मा जी के नाम लिख कर दिये।

ता० २८ जुलाई १९३० को पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित पत्र लिखा—

नैनो सेन्ट्रल-जेल

हमने सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर के साथ बहुत काफ़ी बातें की और इन दोनों महानुभावों ने उन समस्त बातों को हमारे सामने रखा जो उन्होंने अब तक इसके संबंध में एकत्रित किया था। इसलिए कि इस समय भारत और बृटिश-गवर्नमेन्ट के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वह शांत होजाय। समझौते के लिए हम उनके इस सदुद्देश्य की प्रशंसा करते हैं और साथ ही उनके उस प्रयत्न के लिए भी, जो उन्होंने, इसके लिए किया है।

कांग्रेस के प्रतिनिधि होने की हैसियत से हमें उसके स्वीकृत प्रस्तावों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है किन्तु विशेष अवस्थाओं में उसकी कुछ बातों में हम सिफ़ारिश कर सकते हैं। हमारे सामने सब से बड़ी और पहली कठिनाई यह है कि हम दोनों जेल में बंद हैं और कुछ समय से बाहरी संसार तथा आन्दोलन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमको तीन मास से किसी समाचार पत्र के मंगा सकने की आज्ञा नहीं है। गांधी जी स्वयं कई महीनों से जेल में हैं! कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी के सभासद जेलों में बंद हैं और कार्य कारणी कमेटी स्वयं ग़ैर कानूनी संस्था क़रार दे दी गई है! जो आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी, देश के राजनीतिक संगठन की एक मात्र

संस्था है और जिसके सम्पूर्ण भारतवर्ष के ३६० सभासद हैं, उसके सभासदों में ७५ फ़ी सदी कार्यकर्त्ता हमारी ही तरह, आन्दोलन से अलग करके, जेलों में बंद कर दिये गये हैं! ऐसी अवस्था में, बिना सब कार्यकर्त्ताओं से और विशेष कर महात्मा जी से परामर्श किये, हम लोग किसी प्रकार, समझौते की कोई निश्चित बात करके, अपने ऊपर उत्तर-दायित्व नहीं ले सकते!

राउण्ड टेबुल कान्फ़रेन्स के संबन्ध में किसी नतीजे तक पहुँचना उस समय तक हम व्यर्थ और अनावश्यक समझते हैं जब तक कि ख़ास-ख़ास बातों पर शर्तनामा न हो जाय। हमारा शर्तनामा ऐसा होना चाहिए जिसमें न तो किसी प्रकार का भ्रम पैदा किया जा सके और न वह किसी प्रकार बेकार ही साबित हो। सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने इसको बिलकुल स्पष्ट रखने की चेष्टा की है। लार्ड इरविन ने स्वयं अपने छपे हुए पत्र में लिखा है कि वे यह सब अपनी ओर से कर रहे हैं किन्तु जो कुछ वे कर रहे हैं, उससे न तो वे अपने आप को धोखा देना चाहते हैं और न अपनी गवर्न-मेन्ट को। संभव है यह बात हो सके और इस प्रकार का मार्ग पैदा करने में डा० सप्रू और मि० जयकर को सफलता मिले, जो काँग्रेस और सरकार—दोनों को किसी प्रकार का धोखा न दे।

हम समझौते के संबंध में, बिना महात्मा जी तथा अपने अन्य सहयोगियों से परामर्श किये, कोई भी निश्चित बात कहने में असमर्थ हैं, इसलिए सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर की उपास्थत की हुई दलीलों और २३ जुलाई को लिखे हुए, महात्मा जी के नोट पर, जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है, बातें करने में हम विवश हैं। महात्मा जी ने अपने नोट में जो शर्तें लिखी हैं, उनमें हम नम्बर (२) और (३) में किसी प्रकार सहमत हो सकेंगे किन्तु हम इन शर्तों को और भी स्पष्ट करना पसन्द करेंगे और विशेषकर महात्मा जी के नम्बर (१) की बातों पर अपना मत प्रकट करने के पूर्व, महात्मा जी तथा अन्य सहयोगियों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि हमारा यह पत्र बिल्कुल गुप्त रक्खा जायगा और केवल गांधी जी तथा उन्हीं लोगों को दिखाया जा सकेगा जिन्होंने महात्मा जी का २३ जुलाई का नोट देखा है।

महात्मा जी के नाम जवाहरलाल का पत्र

निम्नलिखित पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के नाम लिखा— नैनी-सेन्ट्रल जेल

प्रिय बापू जी,

यह हर्ष की बात है कि बहुत दिनों के बाद, आपको पत्र लिखने का समय मिला और वह भी एक जेल से दूसरी जेल के लिये। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पत्र को विस्तार के साथ लिखूँ किन्तु मैं ऐसा कर न सकूँगा! इसलिए मैं केवल उस मामले पर ही कुछ बातें लिखता हूं जो मेरे सामने

हैं। मि० जयकर और डा० सप्रू कल यहां आप और मुझसे तथा पिता जी से बहुत देर तक उन्होंने बातें कीं। आज वे फिर आवेंगे। उन्होंने सभी प्रकार की बातें मेरे सामने रक्खीं और आपका दिया हुआ पत्र तथा नोट भी हम दोनों के सामने प्रकट किया हमने वर्तमान मसले पर उनसे बातें कीं और बिना दूसरी भेंट का रास्ता देखे ही, बहुत-सी बातें कर डालीं, किन्तु यदि दूसरी भेंट में कुछ नई बातें पैदा हो सकती हैं, तो हम अपने इन विचारों को—जो इस समय हमारे सामने हैं बदल देने के लिए तैयार हैं।

हम अपने विचारों को इसके साथ के दूसरे पत्र में आप को लिख चुके हैं। हमारे विचारों के संबंध में आप को बहुत कुछ उस पत्र के द्वारा मालूम होगा। हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके संबंध में हम और पिता जी, आप की बातों में पूर्ण रूप से सहमत हैं। आपके पत्र में लिखी हुई शर्तों में नम्बर (१) से हमारा और साथ ही पिता जी का भी विरोध अवश्य है। मैं नहीं समझता कि वह हमारी आवश्यकता, हमारी माँग, और वर्त्तमान परिस्थितियों की किस प्रकार रक्षा करेगा। पिता जी और साथ ही मैं, इस बात में भलीभाँति सहमत हूं, कि कुछ समय की संधि के लिए, हम लोग समझौता न करेंगे, जो आज हमारी इस पहुँची हुई स्थिति को बिफल कर सके। इसीलिए किसी निर्णय तक पहुँचने के पहले ही हमको

उसके संबंध में अधिक-से-अधिक सावधानी के साथ सोच-समझ लेना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि दूसरी ओर से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं पायी जाती जिसपर बहुत कुछ विश्वास किया जाना चाहिए। इसलिए मुझे अपनी ओर से उपस्थित की जाने वाली बातों में, किसी प्रकार का भ्रम और भूल हो जाने का बहुत डर मालूम होता है। मैं स्वयं अपने आप को इस समय बहुत झुका हुआ देखता हूं, मैं तो युद्ध पसंद करने वाला आदमी हूं। इसी के द्वारा मुझे आज अनुभव होता है कि मैं ज़िन्दा हूं। गत चार महीनों में भारत के, स्त्री-पुरुषों और बच्चों ने जो काम किया है, उससे मेरा गर्व बहुत बढ़ गया है और आज मेरा मस्तक ऊंचा हो रहा है। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ कि बहुत-से आदमी युद्ध पसंद नहीं करते। वे शान्ति चाहते हैं। इसीलिए मैं अपनी आत्मा के ख़िलाफ़, शान्ति के लिए, इस समझौते पर विचार करता हूं। आपने अपने पवित्र स्पर्श से, भारत को, नवीन भारत के रूप में जो परिवर्त्तित कर दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। भविष्य हमारे लिए क्या लाना चाहता है, मुझे नहीं मालूम! किंतु अतीत काल ने हमको सजीव और मूल्यवान बनाया है और हमारे शुष्क जीवन में उत्थान की ओर तेज़ी के साथ दौड़ने में एक अद्भुत गति उत्पन्न कर दी

हूं ! यहां नैनी-जेल में बैठकर मैंने अहिंसा-अस्त्र की अद्भुत शक्ति का भलीभांति मनन किया है। उसने मेरे जीवन को बिल्कुल ही परिवर्त्तित कर दिया है। अहिंसा के सिद्धान्त का देश ने इस समय और विशेषकर हिंसा की स्वाभाविक उत्पत्ति कर देने वाले स्थलों के सामने आजाने पर भी, जिस प्रकार पालन किया है, उससे मेरा विश्वास है कि आप असन्तुष्ट न होंगे।

मैं अब भी, आप की ग्यारह शर्तों के संबंध में असंतोष रखता हूं। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनमें से किसी एक बात से भी सहमत नहीं। वास्तव में वे बहुत महत्वपूर्ण हैं किंतु मैं नहीं समझता कि वे स्वाधीनता की पूर्त्ति करेंगी ! फिर भी मैं निश्चय पूर्वक आप की इस बात से सहमत हूं कि न होने की अपेक्षा, कुछ भी राष्ट्र को शक्ति प्रदान करने वाले अधिकारों के प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

पिता जी को इन्जेक्शन दिया गया है, कल संध्याकाल की बातचीत में बड़े परिश्रम और कष्ट के साथ उन्होंने भाग लिया था।

जवाहर लाल

———

महात्मा जी से दूसरी भेंट

इस बार मि० जयकर अकेले यरवदा-जेल में, महात्मा जी के पास गये और ३१ जुलाई से लेकर २ अगस्त तक उनसे बातचीत करते रहे। महात्मा गांधी ने अपनी शर्तों के संबंध में मि० जयकर को निम्नलिखित बातें लिखाईं—

(१) कोई ऐसी स्कीम मि० गांधी को स्वीकृत न होगी जिसमें, (१) अपनी इच्छा पर बृटिश-साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद करने का भारत को अधिकार न होगा और (२) भारत को ऐसा अधिकार न दिया जायगा, जिससे वह पूर्व

प्रकाशित ११ शर्तों के आधार पर, संतोष के साथ, उसको स्वीकृत-अस्वीकृत कर सके।

(२) वाइसराय को मि० गांधी की यह अवस्था मालूम होनी चाहिए कि राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स में जो कुछ मैं करूँगा, उसको देखकर, वाइसराय यह बात न सोचें कि राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स के उपस्थित होने का संयोग आने पर मि० गांधी अभिमान में आकर, इस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं।

(३) वाइसराय को यह बात भलीभांति मालूम होनी चाहिए कि कान्फरेन्स में इस आशा का एक प्रस्ताव रखने का मि० गांधी का दृढ़ निश्चय है जिसके फल-स्वरूप एक निर्वाचित कमेटी, एक ही साम्राज्य के अन्तर्गत, भारतीय प्रजा और बृटिश-प्रजा—दोनों को दिए गये अधिकारों पर निष्पक्ष भाव से विचार करेगी।

कांग्रेस-नेताओं का समझौते पर पत्र

तारीख़, १३, १४, १५, अगस्त को यरवदा-जेल में महात्मा गाँधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू डा० महमूद, सरदार बल्लभभाई पटेल, मि० जयरामदास दौलतराम, और श्रीमती नायडू आदि के साथ सर तेज-बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने बातचीत की। उस बात-चीत में कांग्रेस के नेता जिस नतीजे पर पहुंचे, उसपर उन्होंने सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर को लिखकर एक

पत्र दिया और उस पत्र को वाइसराय से प्रकट करने के लिए उनको अधिकार दिया। पत्र इस प्रकार है—

प्रिय मित्रो,

काँग्रेस और बृटिश-गवर्नमेण्ट के बीच शान्ति पूर्ण समझौता कराने के लिए आप ने जो प्रयत्न किया है उसके लिए हम आप के चिर कृतज्ञ हैं। इसके संबंध में, आपके और वाइसराय के बीच जो प्रारम में पत्र-व्यवहार हुआ और उसके बाद, आपके साथ हम लोगों की जो बातचीत हुई, उसको जानकर हम लोग यह समझते हैं कि अभी समझौता होने का समय नहीं आया। देश के सार्वजनिक जीवन में गत पांच मास के भीतर जो जागृति उत्पन्न हुई है और देश को जिन-जिन विपत्तियों तथा हानियों का सामना करना पड़ा है, वे विपत्तियाँ और हानियां न तो दब सकती हैं और न उनका इस प्रकार अंत ही हो सकता है!

आपका और वाइसराय का यह सोचना कितना व्यर्थ और सारहीन है कि सत्याग्रह-आन्दोलन देश के लिए हानिकारक है अथवा वह असमय और अनियमित संचालित हुआ है, यह बताने और कहने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज़ी इतिहास रक्त-पात और क्रान्ति का समर्थन करते हैं, उनमें रक्त-पात करने वाले साधनों का ही उपयोग किया गया है और उसी की वे हम को शिक्षा देते हैं। ऐसी अवस्था में

वाइसराय अथवा किसी बुद्धिमान अँगरेज़ के लिए राजद्रोह की निन्दा करना और शान्त रहने का दम भरते हुए उस को कुचल डालना क्या अर्थ रखता है?

सत्याग्रह-आन्दोलन के द्वारा, निन्दा-पूर्वक हम लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, चाहे वह सरकारी हो और चाहे ग़ैर सरकारी। देश ने, आन्दोलन के द्वारा, अपनी शक्ति का जो अद्भुत उत्तर दिया है, हम तो उसी को महत्व देना चाहते हैं। फिर भी यदि संभव हुआ और समय आया, तो सत्याग्रह-आन्दोलन प्रसन्नता-पूर्वक बंद होगा अथवा स्थगित होगा। यहांपर स्त्री, पुरुषों और बच्चों को जेल भेजने, उन पर लाठियाँ चलवाने तथा इससे भी अधिक अत्याचार-पूर्ण घृणित व्यवहार जो किये गये हैं, उनका ज़िक्र करना अनावश्यक है और हम स्वयं उसे उचित नहीं समझते। हम आप को और आपके द्वारा वाइसराय को जब इस बात का विश्वास दिलावें कि शान्ति-पूर्ण समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं, उनका अवलम्बन करने में हम कोई बात उठा न रखेंगे, तो आपको उसपर विश्वास करना चाहिये।

यह प्रकट करने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि अभी तक ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते जिनसे समझौते की सम्भावना मालूम हो। हम अंग्रेज अधिकारियों को यह स्पष्ट बताना चाहते हैं कि भारत के स्त्री और पुरुष उसी बात का निर्णय

करेंगे जो भारतवर्ष के लिये सब से उत्तम होगा। समय-समय पर सरकारी अधिकारियों के द्वारा भारत के लिए जो पवित्र और शुभचिन्तना-पूर्ण घोषणाएं हुईं हैं, उनपर हमें हार्दिक दुख है। अपने शासन-काल में अंग्रेज़ी जाति ने प्राचीन भारतवर्ष की, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक अवस्था का नाश करके सब प्रकार उसको अयोग्य बना दिया है। वह स्वयं इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकती कि इसने जो कुछ भारत में रहकर अपने शासन में किया है, उससे हम बर्बाद होने के अतिरिक्त, किसी प्रकार भी उन्नति की ओर अपने पैर नहीं उठा सके।

परन्तु हम समझते हैं कि आप और हमारे अन्य कुछ देश के शिक्षित भाई इसके विपरीत सोचते हैं। आप कान्फरेन्स पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रसन्नता के साथ, उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं और उसके संबंध में हम जो कुछ कर सकते हैं एवम् जिन अवस्थाओं में कर सकते हैं, उन सब बातों का निम्नलिखित पंक्तियों में उल्लेख है—

चार शर्तें

हम समझते हैं कि वाइसराय के पत्र में, जो उन्होंने आपको दिया है, जिस कान्फ़रेन्स का ज़िक्र है और उस कान्फरेन्स के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया है, लाहौर काँग्रेस में

स्वीकृत माँगों के आधार पर, उसका कोई मूल्य और महत्व ही नहीं रह जाता। हम इस समय कुछ भी उत्तरदायित्व के साथ कह सकने में तब तक असमर्थ हैं, जब तक कि हम अपने साथ, काँग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी और आवश्यकता पड़ने पर आल-इंडिया-कांग्रेस का निर्णय न रखें। किन्तु आवश्यकता होने पर, बिना कांग्रेस और उसकी कार्य-कारिणी कमेटी का परामर्श लिए, हम कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय हमें स्वीकृत नहीं हो सकता जब तक कि (१ अ) उसमें स्पष्ट रूप से यह न कहा जाय कि भारतवर्ष अपनी इच्छा और आवश्यकता पर साम्राज्य से पृथक होजाने का अधिकार रखता है। (ब) भारतवर्ष को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन, जिसमें महात्मा जी की लिखी हुई ११ शर्तों का सम्मिश्रण होगा और पुलिस, पल्टन और देश की आर्थिक आय उसके अधिकार में होगी, न दिया जायगा। (स) भारतवर्ष को, यदि आवश्यकता होगी, तो इस बात का पूरा अधिकार होगा कि जिससे वह बृटिश-प्रजा के पूर्ण अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक निर्वाचित कमेटी के द्वारा निर्णय कराने की व्यवस्था कर सके, जिसमें भारतीय सार्वजनिक ऋण के अन्याय पूर्ण होने की बात भी सम्मिलित होगी, जब तक अधिकार न दिया जायगा।

नोट—इस प्रकार शासनाधिकार की सभी बातें भारत

की आवश्यकता के अनुसार होंगी, जिनका निश्चय निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा।

(२) यदि इन शर्तों का बृटिश-सरकार ने उत्तर दिया और संतोष के साथ वह स्वीकृत हो सका तो हम आल इंडिया कांग्रेस की कार्य-कारिणी कमेटी से सिफ़ारिश कर सकेंगे कि वह अपना सत्याग्रह-आन्दोलन वापस ले ले किन्तु उस अवस्था में, विदेशी कपड़ों और शराब की दूकानों पर शान्ति-पूर्वक उस समय तक धरना जारी रहेगा जब तक कि सरकार स्वयं क़ानून बनाकर उनका भारत में आना रोक न देगी। नमक देश में बराबर बनता रहेगा किन्तु कोई ऐसा कानून न रहेगा जिससे नमक बनाना ग़ैर कानूनी हो। सरकारी नमक के कारख़ानों और प्राइवेट नमक की दूकानों पर चढ़ाइयां न होंगी।

(३) सत्याग्रह-आन्दोलन के स्थगित होने के साथ-ही-साथ (अ) समस्त सत्याग्रही एवम् राजनीतिक क़ैदी, जो किसी ख़ूनी मामले के अपराधी नहीं हैं, चाहे वे सज़ा पा चुके हों अथवा वे अभी हिरासत में हों, छोड़ दिये जायंगे। (ब) नमक-कानून, प्रेस-ऐक्ट मालगुज़ारी-ऐक्ट आदि के अनुसार जो सम्पत्ति ज़ब्त हो चुकी है, वापस दे दी जायगी। (स) जिन लोगों ने आन्दोलन के कारण सरकारी काम-काज तथा उसके संबंध से स्तीफे दे दिये हैं, उनके स्तीफ़े

वापस देकर, उनको, उनके कामों पर बहाल कर दिया जायगा। (३) वाइसराय के बनाए हुए सभी आर्डिनेंस रद्द हो जायँगे। (४) कान्फ़रेन्स में सम्मिलित होने की अवस्था में, उसमें उपस्थित किये जाने वाले सभी विषयों पर, कांग्रेस के प्रतिनिधि संतोषजनक अपने यहां परामर्श कर लेंगे। किंतु यह सब तभी होगा, जब हमारी ऊपर कही हुई सब बातें स्वीकृत होकर घोषित कर दी जायँगी।

आपके शुभचिंतक—

मोतीलाल नेहरू	वल्लभभाई पटेल
एम० के० गांधी	जयरामदास दौलतराम
सरोजिनी नायडू	सैयद महमूद
जवाहरलाल नेहरू

————

कांग्रेस-नेताओं के नाम पत्र ।

सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने १६ अगस्त को कांग्रेस के नेताओं के नाम निम्नलिखित पत्र लिखा—

प्रिय मित्रो,

हमने इस बीच में, पूना और इलाहाबाद में आप लोगों से जो भेंट की है और उसके साथ-साथ जो कुछ आप से कहा है उसको उदारता और सुशीलता के साथ आपने जो सुनकर अपना सद्व्यवहार प्रकट किया है उसके लिए, हम आप के कृतज्ञ हैं। हमें खेद है कि इस बीच में हमने आप

को बहुत देर बातें करने में कष्ट दिया है और विशेषकर पंडित मोतीलाल नेहरू को, बीमारी की अवस्था में, नैनी-जेल से पूना बुलाने में जो कष्ट हुआ है उसके लिए हमें दुःख है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम आप के उस पत्र का उत्तर दे रहे हैं जो आप लोगों ने हमें दिया है और जिसमें अपनी शर्तें पेश की हैं एवम् सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करके और राउण्ड टेबुल कान्फ्रेन्स में भाग लेने के संबन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं—

जैसा कि हमने आप को बताया है, हमने जो इस समझौते के कार्य को अपने हाथों में लिया, उसका आधार है— (१) पंडित मोतीलाल नेहरू की अपनी भेंट में मि० स्लोकोम्ब को २० जून, १९३० को दी हुई शर्तें और विशेषकर (२) मि० स्लोकोम्ब के द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू का २५ जून, १९३० को उन शर्तों का स्वीकार करना और निजी तौर से हमारे द्वारा वाइसराय के पास उन शर्तों का पहुंच जाना। मि० स्लोकोम्ब ने ये दोनों मज़मून हम लोगों के पास रवाना किये और हमने उनके आधार पर वाइसराय से, महात्मा गाँधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जेलों में मिलने के लिए आज्ञा माँगी। ऊपर जिन दो मज़मूनों (हस्त-लेखों) की चर्चा की गई है, उनमें एक हमारे द्वारा आप को मिल चुका है। ता०१४ को आपने, अपने पत्र

में जो शर्तें दी हैं, ये वही शर्तें है जो हमारे साथ बातचीत में हुई थीं ये शर्तें वाइसराय को भेजनी होंगी और उनके उत्तर की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अपनी बातचीत में हमसे जो आपने प्रकट किया और शर्तों के संबन्ध में जो पत्र हमको दिया है उसपर एक नोट लिखकर पत्र के साथ वाइसराय के पास रवाना किया जायगा और उनका निर्णय मिल जाने पर हम फिर रवाना होंगे।

मुझे यह कहने की आप अनुमति देंगे कि हमारे सामने इस प्रकार का आधार था जिसपर हम समझौते के लिए खड़े हुए और समझौता हो सकने की संभावना समझी, जैसा कि हमने आपको बताया है, सत्याग्रह-आन्दोलन के स्थगित होने के साथ ही देश की साधारण अवस्था सुधरेगी। अहिंसात्मक राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिये जांयगे, सभी आर्डीनेन्स उठा लिए जांयगे और राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स में कांग्रेस पूर्ण रूप से भाग लेगी। इस स्थिति में और उसमें, जो पंडित मोतीलाल नेहरू ने लिखकर और अंत में स्वीकृत करके मि० स्लोकोम्ब को एवम् वाइसराय ने जो पत्र हमको दिया, कोई वास्तविक अंतर नहीं है।

आप के शुभचिंतक—

तेजबहादुर सप्रू

एम. आर. जयकर

वाइसराय का दूसरा पत्र

वाइसरीगल लोज, शिमला
२८ अगस्त, १९३०

प्रिय सर तेजबहादुर सप्रू,

कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हैं, उनके साथ मि० जयकर और आपने जो बातें कीं और उसका जो नतीजा निकला, उसको प्रकट करते हुए, कांग्रेस-नेताओं का, पत्र जो आपने हमारे पास भेजा है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। इस समय आपने और मि० जयकर ने जो

देश की सार्वजनिक सहायता की है और उसकी वर्त्तमान अवस्था को सुधारने के लिए जो प्रयत्न किया है उसके लिए, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। यहां पर उन बातों का दुहराना अनुचित न होगा जिनके संबंध में आपने अपने पत्र में चर्चा की है।

अपने १६ जुलाई के पत्र में मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि 'मेरी और मेरी गवर्नमेन्ट की यह वास्तविक इच्छा है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि मैं तथा मेरी गवर्नमेन्ट, सभी प्रकार, हम भारतवर्ष के लोगों के प्रयत्न में सहायता करेंगे जिससे वे अपने यहां प्रबंध करने की बड़ी-सी-बड़ी मात्रा जो अनुकूल हो और जो उसके उद्देश्यों की तैयारी करती हो, प्राप्त कर सकें, जिसके संबंध में, वे इस समय उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं। किन्तु ये सब बातें परीक्षार्थ कान्फरेन्स में रखी जाँयगी और वहीं पर इन का निर्णय होगा'।

९ जुलाई को मैंने अपने लेजिस्लेटिव एसेम्बली के भाषण में अन्य जिन दो बातों के लिए भी स्पष्ट कर दिया था, उनमें से एक तो यह कि कान्फरेन्स में जो सम्मिलित होंगे, उनको वैध आन्दोलन की सभी बातों को उसमें उपस्थित करने का, अधिकार होगा, दूसरे यह कि उपस्थित की हुई बातों पर,

कान्फ़रेन्स जिस नतीजे पर पहुँचेगी, उसको प्रस्ताव के रूप में बृटिश सरकार, पार्लमेण्ट के पास भेज देगी।

मैं सोचता हूं, जिसको आप भी, बिना किसी सन्देह के, स्वीकार करेंगे कि जो उत्तरदायित्व आपने, अपनी इच्छानुसार अपने ऊपर लिया था, उसको निभाने में काँग्रेस के नेताओं का पत्र, जो आपको मिला है, कुछ भी सहायता नहीं करता। पत्र में जो बातें प्रदर्शित की गई हैं, और जिन बातों में आकर देश, आर्थिक तथा अन्य सभी बातों में, बहुत ख़तरे में पड़ा है, उनके संबंध में कोई लाभदायक मार्ग मेरी समझ में नहीं आता। मैं स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि पत्र में जो शर्तें दी गई हैं, वे असंभव हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलें, तो यह बात साफ़ करदें। आपने १६ अगस्त को कांग्रेस के नेताओं के नाम जो पत्र लिखा है, उसके अंतिम पैराग्राफ़ पर बातें करते हुए मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जिस समय सत्याग्रह-आन्दोलन पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जायगा, उस समय मैं किसी आर्डीनेन्स के (लाहौर और चटगाँव के झगड़ों से संबंध रखनेवालों को छोड़कर) जारी रखने की इच्छा न करूंगा। यद्यपि मैं इस बात का विश्वास नहीं दिलाता, किन्तु यदि सत्याग्रह-आन्दोलन रुक गया तो प्रान्तिक सरकारें अहिंसात्मक राजनातिक क़ैदियों को चाहे वे सज़ा में हों अथवा हिरासत में, उनके मामलों पर सहा-

नुभूति के साथ विचार करेंगी और जहांतक संभव होगा, उनको छोड़ देंगी।

सत्याग्रह-आन्दोलन के बन्द हो जाने पर और कान्फरेन्स में कांग्रेस के भाग लेने पर, उसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा, इसके सम्बन्ध में मुझे स्मरण है, आपने कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि कान्फरेन्स में उसी का बहुमत रहे, और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि मैं अपनी सरकार से, बिना किसी विशेष कठिनाई के, यह सिफारिश कर सकता हूं कि जिससे कान्फरेन्स में कांग्रेस के पर्याप्त प्रतिनिधि भाग ले सकें, मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि यदि ऐसी स्थिति आई तो कांग्रेस की ओर से दी हुई प्रतिनिधियों की उस सूची को मैं स्वीकार कर लूं जिसका प्रतिनिधित्व वे चाहते हों।

मैं समझता हूं कि आप और मि० जयकर मेरी और मेरे गवर्नमेण्ट की स्थिति को अब भलीभांति समझ लेंगे और देश के सर्वसाधारण लोग यह समझ सकने से वंचित न रहेंगे कि समझौता किस प्रकार बिफल हुआ।

आपका शुभचिंतक—

इरविन

समझौते पर सर सप्रू और मि० जयकर

समझौते के संबंध में, सर तेजबहादुर सप्रू, मि० जयकर का वाइसराय तथा कांग्रेस के नेताओं के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ और उसके संबंध में जो बातचीत हुई, उसपर अपना वक्तव्य प्रकाशित करते हुए सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर ने लिखा—

कांग्रेस के नेताओं का जो पत्र वाइसराय के पास भेजा गया था, उसपर हम से और वाइसराय से जो बातें हुई थीं और उन पर वाइसराय जिस नतीजे पर पहुँचे थे, उसको कांग्रेस के

नेताओं से प्रकट करने के लिए वाइसराय ने हमको अनुमति दे दी थी। इसपर २८ अगस्त को हम शिमले से इलाहाबाद को रवाना हुए और वहां पर, नैनी-जेल में, पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और डाक्टर महमूद से ३० और ३१ अगस्त को बातचीत की। कांग्रेस के नेताओं के पत्र के उत्तर में, वाइसराय ने जो हमको पत्र लिखा था, उस पत्र को हमने नैनी-जेल में प्रकट किया और जो हमसे तथा वाइसराय से बातें हुई थीं, उनको भी एक-एक करके उनके सामने रक्खा। कांग्रेस के नेताओं के पत्र पर जो हमने अपने विचार वाइसराय के सामने प्रकट किये थे, और जिनके आधार पर समझौते का एक रूप तैयार हुआ था, जिसपर कांग्रेस और वाइसराय के बीच, समझौता हो सकने पर हमने विश्वास किया था, उस रूप का आधार इस प्रकार है—

(क) कांग्रेस-नेताओं की मांग के संबंध में, वाइसराय का परामर्श, जो उन्होंने, हमको २८ अगस्त को लिखे हुए अपने पत्र के दूसरे पैराग्राफ़ में प्रकट किया है।

(ख) राउण्डटेबुल कान्फरेन्स में, साम्राज्य से पृथक हो जाने का प्रश्न उठाने का अधिकार महात्मा गांधी को होने के लिए यह बात है—जैसा कि वाइसराय ने २८ अगस्त के अपने पत्र में, लिखा है कि कान्फरेन्स तो एक स्वतंत्र कान्फ़रेन्स होगा, इसलिये उसमें कोई भी व्यक्ति, जो पसंद करे, उस

पर वह बोलने और प्रस्ताव करने का अधिकारी है। किंतु वाइसराय का कहना यह है कि महात्मा गांधी का उसके लिए, इस समय कहना बिल्कुल अनुचित है। यदि इसके लिए महात्मा गांधीने आग्रह किया और भारत-सरकार का सामना किया तो वाइसराय इस बात को स्पष्ट रूप से कह देंगे कि गवर्नमेएट इसपर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। यदि महात्मा गांधी ने इस प्रश्न को राउएड-टेबुल कान्फ़रेन्स में उठाने का विचार किया, तो वाइसराय, सेक्रेटरी-आफ़-स्टेट को उनके इस विचार की सूचना कर देंगे।

(ग) राउएड टेबुल कान्फ़रेन्स में, भारतीय ऋण के संबंध में प्रश्न उठाने और एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा उसके औचित्य और अनौचित्य के निर्णय का प्रस्ताव करने के लिए किसी को भी अधिकार होगा। किंतु वाइसराय का कहना है कि भारतीय सार्वजनिक ऋण रद् करने और उसकी अदायगी से इनकार करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता।

(घ) नमक-क़ानून के रद् करने के संबंध में, वाइसराय का कहना यह है कि (१) यदि साइमन कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई, तो यह क़ानून प्रान्तीय अधिकारियों के हाथ में चला जायगा। (२) सरकारी मालगुज़ारी में इतना नुक़सान हुआ है कि सरकार इस क़ानून को रद् करना स्वीकार

न करेगी। किंतु यदि व्यवस्थापक सभा में इसको रद करने और उसके स्थान पर कोई दूसरा कर लगाने का प्रस्ताव किया जाय तो वाइसराय और उनकी गवर्नमेण्ट उसपर विचार करेगी। जब तक नमक-कर एक क़ानून के रूप में है, तब तक उसको उठा देने का कार्य वाइसराय के बस में नहीं है। यदि यह सन्धि होगई और भारतीय नेताओं ने वाइसराय तथा उनकी गवर्नमेण्ट के साथ इस विषय पर बातचीत करनी चाही कि इसके संबंध में ग़रीबों को किस प्रकार आर्थिक सुविधायें दी जा सकती हैं, तो उस विषय पर विचार करने के लिए प्रसन्नता के साथ वाइसराय भारतीय नेताओं की एक छोटी-सी कान्फ़रेन्स करेंगे।

(ङ) पिकेटिंग के सम्बन्ध में वाइसराय का कहना है कि यदि उसने इस प्रकार का रूप धारण किया, जिससे सर्वसाधारण में उत्पात की संभावना हुई, या किसी प्रकार समाज में उसनेअशान्ति का जीवन उत्पन्न किया अथवा उसमें किसी के प्रति धमकी, डर पैदा करने के लिए शक्ति का उपयोग किया गया, तो उस दशा में, उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई अथवा अन्य कोई नैतिक प्रयत्न करने के लिए, वाइसराय विवश होंगे। और यदि सन्धि हो गई, एवम् पिकेटिंग उठा ली गई तो

उसके खिलाफ़ लगाये गये आर्डीनेन्स उठा लिये जायँगे।

(च) आन्दोलन के कारण जिन्होंने अपनी नौकरियों से त्याग-पत्र दे दिये हैं अथवा जो सरकारी नौकरियों से पृथक कर दिये गये हैं उनको फिर उन नौकरियों अथवा स्थानों पर ले लेने के सम्बन्ध में वाइसराय का कहना है कि यह प्रश्न स्थानीय अधिकारियों से सम्बन्ध रखता है, फिर भी यदि उनके स्थान ख़ाली होंगे और उनके स्थानों पर किसी की नियुक्ति न हो चुकी होगी और वे सरकारी नौकर रह चुके होंगे तथा अपनी सेवाओं में वे राजभक्त साबित हो चुके होंगे तो स्थानीय अधिकारी उनको पुनर्वार नियुक्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

(छ) प्रेस-आर्डीनेन्स के कारण, ज़ब्त किये हुए प्रेस वापस करने में कोई अड़चन न होगी।

(ज) मालगुज़ारी-क़ानून के अनुसार लिए हुए जुर्माने तथा ज़ब्त एवम् नीलाम की हुई सम्पत्ति अथवा रियासत पर तो तीसरे का अधिकार हो गया। जुर्माने की रक़म का वापस करना भी कठिन हो गया। फिर भी यदि संभव हुआ तो स्थानीय अधिकारी उन मामलों पर फिर विचार करेंगे और जहां तक होगा, वापस करने की शर्त को पूरा करेंगे।

(झ) क़ैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में, २८ जुलाई को, हमको

लिखे हुए पत्र में, वाइसराय ने, स्पष्ट कर ही दिया है।

हमने ये बातें पण्डित मोतीलाल नेहरू पण्डित जवाहर-लाल नेहरू और डाक्टर महमूद से, उनसे मुलाक़ात के साथ, साफ़-साफ़ प्रकट करदी हैं और उनसे यह भी बता दिया है कि यदि इस समय कोई समझौता हो सकता है तो केवल ऊपर लिखी हुई बातों के आधार पर हो सकता है। इस पर उन्होंने, वाइसराय की इन शर्तों के आधार पर एक भी समझौता करने में अनिच्छा प्रकट की और उन्होंने एक पत्र महात्मा गांधी के नाम लिखकर दिया—

महात्मा जी के नाम पत्र

वाइसराय की दी हुई शर्तों पर सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर ने नैनी-जेल में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा० महमूद से बातचीत की। समझौते की शर्तों पर बहुत देर तक बातचीत करने के बाद इनकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा० महमूद ने महात्मा गाँधी के नाम निम्न-लिखित पत्र लिखा—

नैनी सेन्ट्रल जेल

३१। ८। ३०

कल और आज डा० सप्रू और मि० जयकर से भेंट करने का फिर हमको अवसर प्राप्त हुआ। इस भेंट में उनसे

ख़ूब बातें हुईं। वाइसराय ने २८ अगस्त को सर सप्रू और मि० जयकर के नाम जो पत्र लिखा था, उस पत्र को आगन्तुक महानुभावों ने हमारे सामने रक्खा। इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि हम लोगों ने समझौते के संबंध में सर सप्रू और मि० जयकर के नाम तारीख़ १५ अगस्त को जो पत्र लिखा था उसके अनुसार एक भी बात सम्भव नहीं हो सकी और सर तेज बहादुर सप्रू तथा मि० जयकर ने समझौते के लिए जो परिश्रम किया वह बिल्कुल बेकार गया, उसका कोई भी नतीजा न निकला। ता० १५ अगस्त को काँग्रेस के नेताओं ने जो पत्र लिखा था, आप जानते हैं कि उसपर हस्ताक्षर करने वालों ने पत्र को कितना सोच-विचार कर लिखा था और जो कुछ उसमें प्रस्तावित किया गया था, वह सब व्यक्तिगत शक्तियों के आधार पर था। उसमें हम लोगों ने जो लिखा था उसका यह स्पष्ट अर्थ था कि तब तक कोई भी निर्णय संतोषजनक नहीं हो सकता जब तक हमारी प्रस्तावित बातों के ख़ास-ख़ास अंश पूरे नहीं हो जाते और हमारी शर्तों के अनुसार, बृटिश-सरकार संतोषजनक घोषणा नहीं कर देती। यदि इस प्रकार की घोषणा हो जाय तो सत्याग्रह-आन्दोलन को स्थगित करने के लिए हमलोग कांग्रेस की कार्य-कारिणी कमेटी से सिफ़ारिश करेंगे, जिसके साथ ही, हमारे आन्दोलन के प्रति

वाइसराय ने जो क़ानूनी हमले किये हैं और जिनका हवाला हमारे पत्र में दिया जा चुका है उन सब को बृटिश सरकार वापस ले लेगी। यह तो था फ़िलहाल संतोषजनक समझौता, जिसके आधार पर एक स्कीम तैयार की जाती, जिसका निर्णय लन्दन में होनेवाली कान्फ़रेन्स में होता। लार्ड इरविन, हमारी प्रस्तावित बातों पर बातचीत करना भी असम्भव समझते हैं। ऐसी अवस्था में समझौते का कोई भी आश्रय नहीं है।

सरकार की ओर से जो व्यवहार किया जारहा है और वाइसराय की ओर से जो पत्र लिखा गया है, उसका एक-एक अक्षर यह साबित करता है कि समझौता करने की सरकार की इच्छा नहीं है। कांग्रेस की वर्किंङ्ग कमेटी को ग़ैर क़ानूनी संस्था क़रार देना और आन्दोलन के नेताओं तथा कार्य-कर्त्ताओं को गिरफ़्तार करना सिवा इसके और क्या अर्थ रखता है! हम इन गिरफ़्तारियों और अमानुषिक व्यवहारों की कोई शिकायत नहीं करना चाहते, वरन् हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे ऐसा लिखने का अभिप्राय केवल यह है कि समझौते के सम्बन्ध में सरकार की, इच्छा और अनिच्छा को हम भलीभांति जानते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में वर्किङ्ग कमेटी का अस्तित्व मिटाने की इच्छा और उसकी बैठकों के रोकने का प्रयत्न, यह अर्थ रखता है कि आन्दोलन

बराबर चलता रहे और समझौता न हो और सरकारी जेलें आन्दोलन कारियों से भरी रहें।

लार्ड इरविन का पत्र और बृटिश-सरकार का व्यवहार, इस बात को स्पष्ट करता है कि डा० सप्रू और मि० जयकर की कोशिशों का कोई नतीजा न निकले। हमारे और लार्ड इरविन के बीच जो अवस्था है; उसकी एक-एक बात पर विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता थी, किन्तु वैसा न करके हम आपको लार्ड इरविन के पत्र की ख़ास-ख़ास बातों का ही यहां पर उल्लेख करना चाहते हैं। उनके पत्र में पहली बात तो यह है कि प्रारम्भ में वाइसराय ने अपनी उन बातों को दुहराया है जिनको उन्होंने एसेम्बली के भाषण में कहा था। पत्र में कुछ इस प्रकार के शब्दों की भरमार है जिनका, कोई एक अर्थ नहीं होता। उन दोअर्थी बातों का जब जो चाहे, मतलब निकाल सकता है। हमने अपने पत्र में यह साफ़ कर दिया था कि भारत में यथासम्भव शीघ्र एक ऐसी पूर्ण स्वतंत्र शासन की व्यवस्था हो जो भारतवासियों के सामने उत्तरदायी हो। देश की सेनाओं और आर्थिक प्रश्नों पर इस नवीन सरकार का पूरा-पूरा अधिकार होगा। हमारे सामने न तो किसी प्रकार की देरी का प्रश्न है और न उसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश है। बृटिश-सरकार के हाथ से नई सरकार के हाथ में अधिकार आने में

कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। उस व्यवस्था का भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्णय करेंगे।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी होगी कि भारत जब चाहेगा अपनी इच्छा और आवश्यकता पर, बृटिश-साम्राज्य से अलग हो जायगा। उसे यह भी अधिकार होगा कि भारत के उन आर्थिक प्रश्नों पर, जो भारत के ऊपर ऋण के रूप में दिखाया जाता है, एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा उसका निर्णय करा सके! इन सब बातों के सम्बन्ध में हमसे केवल यह कहा जाता है कि कान्फरेन्स बिल्कुल स्वतंत्र होगी। वहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि लोग प्रश्न उठा सकेंगे। ये तो वही बातें हैं जो पहले कही जा चुकी हैं। इसमें नई बात क्या कही गई है! हम लोगों से यह भी कहा जाता है कि यदि भारत के बृटिश-साम्राज्य से अलग हो जाने का प्रश्न उठाया जायगा तो लार्ड इरविन साफ़ कह देंगे कि वे इस प्रश्न को मानने और उसपर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं और महात्मा गाँधी यदि न मानेंगे तो लार्ड इरविन महात्मा जी के इन विचारों की, सेक्रेटरी आफ़ स्टेट को सूचना कर देंगे।

लार्ड इरविन केवल कुछ विशेष आर्थिक मामलों की जांच की जाने की बात स्वीकार करते हैं। यह प्रश्न भी, एक ऐसा प्रश्न है जो केवल बृटिश प्रजा के समस्त अधिकारों को

अपनी सीमा के अन्तर्गत कर लेता है और वह बात भी इसी के अन्तर्गत आ जाती है, जो भारतीय ऋण के नाम से हमारे पत्र में लिखी गई हैं।

राजनीतिक क़ैदियों के छोड़ने के सम्बन्ध में जो बात लार्ड इरविन ने अपने पत्र में लिखी है वह अत्यन्त उलझनों से भरी हुई, असंतोषपूर्ण है। निश्चयपूर्वक यह बताने में वे असमर्थ हैं कि राजनीतिक क़ैदी छोड़ दिये जाँयगे। वे इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के हाथ में छोड़ देना चाहते हैं। हम स्थानीय अधिकारियों और अफ़सरों की सहानुभूति तथा दया पर विश्वास नहीं कर सकते। लार्ड इरविन के पत्र में इससे अधिक किसी बात का, इन क़ैदियों के छोड़ने के बारे में ज़िक्र नहीं है। कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी तादाद में राजनीतिक अभियोग में, जेलों में भेजे जा चुके हैं। मेरठ के अभियोग में जो लोग गिरफ़्तार किये गये थे वे डेढ़ साल से हवालात में सड़ रहे हैं। हमने अपने पत्र में जिन राजनीतिक क़ैदियोंके छोड़ने का उल्लेख किया है, उनमें ये क़ैदी भी हैं।

बंगाल, लाहौर के मामलों के सम्बन्ध में, जैसा कि लार्ड इरविन ने कहा है, हम समझते हैं कि उनके सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं है। हम उन क़ैदियों के छोड़े जाने की बात नहीं कहते जो ख़ूनी अभियोगों में गिरफ़्तार किये

गये हैं। हिंसा हमारा ध्येय नहीं है। ख़ूनी अभियुक्तों के छोड़ने की बात हम नहीं कह सकते, हाँ उनके सम्बन्ध में इतना कह सकते हैं कि उनके मुक़द्मों के फ़ैसले का इतना लम्बा समय न लेकर साधारण समय में—जो अदालत के लिये आवश्यक हो—निर्णय कर दिया जाय। हमें उन घटनाओं के सम्बन्ध में भी आश्चर्य है जो खुली अदालत में क़ैदियों के साथ अन्याय के रूप में होती हैं। और यह भी उनके मुक़द्मे के समय। उस समय ये असाधारण आक्रमण न होने चाहिएं। हम जानते हैं कि दुर्व्यवहारों के प्रति क़ैदियों ने अनशन किया है और अधिक दिनों तक किया है और अपने इस अनशन में मृत्यु की घड़ियाँ गिनने की अवस्था में वे पहुंच गये हैं। बंगाल कौन्सिल के द्वारा, बंगाल-आर्डीनेन्स को स्थान मिला है, हम आर्डीनेन्स को और इसके आधार पर बने हुए किसी भी क़ानून को बहुत अनुचित समझते हैं। बंगाल-कौन्सिल के जिन सभासदों ने इसको पास किया है, वे देश के बहुत ग़ैरज़िम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने इसको पास करके कुछ अच्छा नहीं किया. भविष्य में विदेशी-कपड़ों और शराब की दूकानों पर पिकेटिंग के सम्बन्ध में हम से कहा जाता है कि वाइसराय पिकेटिंग आर्डीनेन्स उठा लेने के लिये तैयार हैं किंतु लार्ड इरविन का कहना है कि यदि हमने आवश्यक समझा तो उसके ख़िलाफ़

क़ानूनी कार्रवाई—नये और पुराने क़ानूनों के आधार पर कर सकेंगे। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट प्रकट कर दिया है कि यदि हम आवश्यकता समझेंगे तो उसको रोकने के लिये न केवल पुराने वरन् नवीन क़ानून बनाकर उपयोग करेंगे!

नमक-क़ानून के सम्बन्ध में भी—जिसका उल्लेख हमारे पत्र में किया गया है—जो कुछ लार्ड इरविन लिखते हैं वह सम्पूर्ण असंतोषजनक है। हम आपके सामने, इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं रखना चाहते और न नमक-कर के सम्बन्ध में आपके सामने कोई बात रखने की ज़रूरत है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हम अब तक कोई ऐसी बात नहीं देखते जो हमारी परिस्थितियों पर संतोष-जनक उत्तर रखती हो।

समझौते के सम्बन्ध में हम लोगों ने जो पत्र लिखा था और उसके उत्तर में लार्ड इरविन ने जो पत्र लिखा है, इन दोनों पत्रों में अंतर है और अन्तर है ज़मीन आसमान का! हमें विश्वास है कि आप यह पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार बल्लभभाई पटेल और मि० जयरामदास दौलतराम को दिखायेंगे और उनकी सम्मति लेकर सर तेजबहादुर सप्रू तथा मि० जयकर को अपना जवाब दे देंगे।

हमारा विचार है कि समझौते के सम्बन्ध में सब बातें प्रकाशित करने में अब अधिक विलम्ब न किया जाय; इसलिए

कि अब सर्वसाधारण को अंधकार में रखना उचित न होगा। इसके लिए हम सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर से अनुरोध करेंगे कि वे समझौते के सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवहार हुआ है वह सब प्रकाशित कर दें और उस कार्यवाही की एक प्रति चौधरी ख़लीकुज़्ज़मान, स्थानापन्न कांग्रेस के सभापति के पास भेज दें। हम समझते हैं कि इसके सम्बन्ध में हमको कुछ भी न करना चाहिये जब तक कि वर्किंग कमेटी हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना न दे।

नैनी सेन्ट्रल जेल
३१। ८। ३०

मोतीलाल
सैय्यद महमूद
जवाहरलाल

समझौते का आख़िरी जवाब

सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर, नैनी-जेल से पंडित मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० महमूद का महात्मा गांधी के,नाम पत्र लेकर, यरवदा जेल गये। वहां पर महात्मा गाँधी तथा अन्य काँग्रेस के नेताओं के साथ समझौते पर फिर बातचीत की। अन्त में महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने समझौते का जवाब देते हुए सर तेज बहादुर सप्रू और मि० जयकर के नाम लिखकर एक पत्र दिया। पत्र इस प्रकार है—

[वृटिश-सरकार और भारत का समझौता

यरवदा सेन्ट्रल जेल

५ । ६ । ३०

प्रिय मित्रो,

वाइसराय ने ता० २८ अगस्त को आपके नाम पत्र जो लिखा है उसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा और आप की लिखी हुई उन बातों को भी पढ़ा जिनके आधार पर वाइसराय समझौता करना चाहते हैं। उस पत्र को भी हमने देखा जो पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० महमूद ने हस्ताक्षर करके आप की मारफ़त भेजा है। इस पत्र में हस्ताक्षर करनेवालों ने समझौते के संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं। मैंने सभी पत्रों और उसके संबंध के क़ागजों को बड़ी सतर्कता के साथ पढ़ा है और अत्यंत स्वतंत्र भाव से आप के साथ बातें की हैं। समझौते की परिस्थिति पर विचार करते हुए दो रातें हमने बड़ी चिन्ता के साथ बिताईं हैं और सब के अन्त में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता होसकने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता।

समझौते के संबंध में नैनी-जेल से नेताओं ने इस बार आप की मारफ़त जो पत्र भेजा है उसमें उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे हम सहमत हैं। किन्तु उनकी यह इच्छा है कि समझौते के संबंध में, जिसको देश-

---

भक्ति के भावों से प्रेरित होकर आप ने त्याग और परिश्रम के साथ पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया है, हमारे हीद्वारा अन्तिम निर्णय हो । इसलिए उसका जवाब देते हुए अत्यन्त संक्षेप के साथ हम उन कठिनाइयों का यहां पर उल्लेख करेंगे जो समझौते के मार्ग में खड़ी हो रही हैं।

वाइसराय ने १६ जुलाई को आप को जो पत्र लिखा है और जिसके आधार पर आप को समझौते के लिए खड़ा होना पड़ा है, वह पत्र हमारे सामने है और वह पत्र भी हमारे सामने है, जिसमें समझौते के संबंध में पंडित मोतीलाल नेहरू और मि० स्लोकोम्ब के बीच तारीख़ २० जून को शर्तें निर्धारित हुई हैं एवम् उन शर्तों को पंडित मोतीलाल नेहरू ने २५ जून को स्वीकार किया है। उसके आधार पर १६ जुलाई के पत्र में, जो वाइसराय ने आप के नाम लिखा है, हमें खेद है कि उसमें हमें कोई भी संतोषजनक बात नहीं मिलती। यहाँ प्रसंग-वश पंडित मोतीलाल नेहरू की स्वीकृत की हुई शर्तों का और वाइसराय के लिखे हुए पत्र का कुछ उल्लेख करना आवश्यक होगया है।

शर्तें

'यदि राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स की शर्तें स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दी जांय तो हम डोमीनियन स्टेटस का प्रश्न

लेकर उस कान्फरेन्स में जा सकते हैं। यदि यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया जाय कि राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स भारतवर्ष के लिए डोमीनियन स्टेटस की व्यवस्था करेगी और उन व्यवहारों का निर्णय करेगी जो भविष्य में, भारतीय राष्ट्र और ग्रेट ब्रिटेन, दोनों के बीच बर्ते जायंगे, एवम् उन बातों का तत्काल निर्णय करेगी जिनको भारतवर्ष चाहता है तो मैं कांग्रेस से सिफ़ारिश करूंगा, कि वह लन्दन में होनेवाला कान्फरेन्स का निमंत्रण स्वीकार करले। हम अपने घर के स्वयं ही मालिक होंगे। लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं कि बृटिश शासन के स्थान पर उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की व्यवस्था करने के लिए कुछ शर्तें पेश कीजाँय और उनपर विचार हो। हम इङ्गलैण्ड में रहने वाले अंग्रेजों के साथ उन शर्तों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे एक राष्ट्र के प्रतिनिधि होने की हैसियत से दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ समान अधिकारी होकर।

मोतीलाल जी की स्वीकृति

भारत को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन का अधिकार दिया जाय, सरकार इसका समर्थन करेगी। इतने दिनों के सहयोग काल के नाते और भारत और ग्रेटबृटेन के बीच परस्पर क्या व्यवहार होंगे? नई सरकार की स्थापना में किन-किन

व्यवस्थाओं का आवश्यकता होगी, ये बातें राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स में निर्धारित होंगी।

वाइसराय की इच्छा

यह मेरी वास्तव में इच्छा है और जैसा कि मेरी सरकार भी चाहती है, जिसके संबंध में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय लोगों के उन प्रयत्नों में सब प्रकार सहायता की जाय जो वे अपने यहाँ प्रबन्ध करने के लिए वे करें और जिसके कर सकने के लिए वे क्षमता प्रदर्शित करें, किन्तु कुछ बातों का उत्तरदायित्व लेने के लिए वे अभी समर्थ नहीं हैं। वे मामले क्या हो सकते हैं और किस प्रकार के प्रबन्ध भारतीय लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं—ये बातें कान्फरेन्स से संबंध रखती हैं लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि बिना दोनों के परस्पर एक दूसरे पर विश्वास किये कुछ भी निर्णय हो सकता है।

हम समझते हैं कि दोनों में ज़मीन आसमान का अन्तर है। कहाँ पंडित मोतीलाल जी के शब्दों में स्वतंत्र भारत के लिए राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स के द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की व्यवस्था और कहाँ वाइसराय के पत्र में वाइसराय और उनकी गवर्नमेंट और बृटिश मन्त्रि-मण्डल की इच्छा, जो भारतीयों को प्रबंध करने के संबन्ध में, सहायता करने के

लिए है जिस पर वाइसराय को कोई सन्देह नहीं है और यह भी निश्चित है कि जिसके लिए भारत के लोग अभी समर्थ नहीं हैं। वाइसराय के पत्र में जिन बातों का आभास मिलता है वह आभास इसके पहले भी सुधारों की टीका टिप्पणी करते हुए Lansdowne Reforms के रूप में मिला था। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० महमूद के हस्ताक्षरों के साथ जो पत्र लिखा गया था, उसमें उल्लेख की गई बातों के उपयुक्त होने में, हम को बार-बार सन्देह होता था, यद्यपि उसमें यह बताया गया था कि काँग्रेस को कौन-सा निर्णय स्वीकार हो सकता है। आप को जो वाइसराय से अंतिम पत्र मिला है उसमें उन्होंने अपनी उन्हीं पुरानी बातों को दुहराया है जिनको वे अपने पहले पत्र में लिख चुके थे। ऐसी अवस्था में हमने जो पत्र लिखा था उस पर हमको पश्चात्ताप है। पत्र में जिन बातों का उल्लेख है, वह सारहीन और अव्यवहार्य्य है, आपने यह कहकर परिस्थिति को और भी साफ़ कर दिया है। यदि मि० गांधी ने साम्राज्य से पृथक हो जाने के संबंध में प्रस्ताव करने का विचार किया तो वाइसराय स्पष्ट रूप से यह कह देंगे कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं। एक ओर यह अवस्था है और दूसरी ओर भारत की स्वतंत्र व्यवस्था का प्रश्न है। यदि भारतवर्ष उत्तरदायित्वपूर्ण शासन

अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य व्यवस्था का निर्माण करने जा रहा है, तो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर। भारत अब अधिक समय तक साम्राज्य के अंतर्गत उसका एक अंश न रहकर कामनवेल्थ का समान अधिकारी होने जा रहा है। वह केवल इसी अवश्यकता और उत्सुकता का अनुभव कर रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब तक बृटिश सरकार हमारी इस आवश्यकता के सामने सिर नहीं झुकाती, तब तक हमारी इस आज़ादी की लड़ाई का युद्ध बराबर जारी रहेगा। नमक-कर के सम्बन्ध में हमने एक साधारण प्रस्ताव किया था, उसके सम्बन्ध में वाइसराय ने जो अपना रुख प्रकट किया है, उससे बड़ा दुख होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि शिमला-शिखर पर निवास करने वाले भारत के शासक, खेतों में काम करने वाले ग़रीब किसानों और मज़दूरों की विपदाओं और कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में नमक एक ऐसी चीज़ है, जिसकी हवा और जल के बाद, ग़रीबों को सब से अधिक ज़रूरत पड़ती है। इस नमक पर सरकार ने जो अपना एक मात्र अधिकार जमा रखा है, उसके विरोध में निरपराध आदमियों ने गत पांच महीनों से अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार यह नहीं

समझ सकी कि यह कर कितना अन्यायपूर्ण है तो फिर वाइसराय के साथ भारतीय नेताओं के समझौते की कोई कान्फरेन्स नहीं हो सकती। वाइसराय का कहना है कि जो लोग इस कर को रद्द करावें वे इतनी ही आय के किसी दूसरे कर के लगाये जाने का प्रस्ताव करें। वाइसराय ने यह कह कर न केवल भारत को दूसरी हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया है वरन भारतीय नेताओं का अपमान किया है! ये सब बातें इस बात का प्रमाण देती हैं कि इस प्रकार भारत को हर प्रकार कुचलने वाली शासन-प्रणाली, अनन्त काल तक जारी रहेगी। हम यह भी बता देना चाहते हैं कि न केवल भारत-सरकार किन्तु समस्त संसार की सरकारें उन क़ानूनों के बनाये रखने की चेष्टा करती हैं जिन क़ानूनों को जनता अनुचित समझती है और क़ानूनों के रूप में आ जाने पर उनका अस्तित्व जल्दी नहीं मिटता।

नमक के अतिरिक्त जनता की माँग के सम्बन्ध में हमने जो बातें उपस्थित की थीं, सरकार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने जिन शर्तों को उपस्थित किया है, उनको देखते हुए भारत और भारत-सरकार के बीच एक विशाल अंतर है। ऐसी अवस्था में समझौता हो सकना कैसे सम्भव था? अतएव समझौता विफल हो जाने के कारण किसी प्रकार का असंतोष अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है।

कांग्रेस और सरकार के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा है। राष्ट्र ने जिस अस्त्र का, इस युद्ध में उपयोग किया है, उसकी शक्ति और सफलता से शासक बिलकुल अपरिचित हैं, इसलिये उनको इसकी शक्ति और मर्यादा के समझने में कुछ समय लगेगा। इधर कुछ महीनों के हमारे कष्ट-सहन और बलिदान से यदि शासकों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस देश में जो उन्होंने अपने स्वार्थों की स्थापना की है अथवा जो उन्होंने अपने लिए यहाँ पर अधिकार प्राप्त किये हैं, कांग्रेस उनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुँचाना चाहती। भारत का यह युद्ध अंगरेज़ों के साथ नहीं है किंतु इस देश में बृटिश-साम्राज्य का जो असह्य प्रभुत्व है, उसका नैतिक रूप से भारत विरोध करता है और असंतोष के साथ अंत तक उसको हटाने का प्रयत्न करेगा। हमारा यह प्रयत्न अन्त तक अहिंसात्मक रहेगा, और इसीलिए हमारे इस प्रयत्न में सफलता भी निश्चित है, यद्यपि अधिकारी लोग हमारे इस प्रयत्न को अत्यंत कटुता और अपमान के साथ देखते हैं।

अंत में हम आप लोगों को, फिर एक बार, शान्ति-स्थापन के अर्थ, आपके कष्ट और प्रयत्न के लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही यह भी बताये देते हैं कि अभी ऐसा समय नहीं आया जब समझौते की सम्भावना समझी जाय।

गोलमेज़ परिषद्

मदारी के इशारे पर भालुओं का नाच

गोलमेज़ परिषद् की बैठक १२ नवम्बर से शुरू हुई। सब से पहिले महामान्य सम्राट् ने आकर शान्ति और विकास का सुखद सन्देश सुनाया। यदि हम सम्राट् के शब्दों को सत्य मानें और उस मंत्रिमण्डल की सचाई पर विश्वास करें, जो उक्त शब्दों की संयोजना के लिये जिम्मेदार है, तो जान पड़ता है कि भारतीय कृषकों की समस्या के हल होने में कोई विलम्ब नहीं है। गोलमेज़ परिषद् के अध्यक्ष मिस्टर मैकडानल ने अपने व्याख्यान में कहा—

हम एक ऐसे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करने जारहे हैं जिनके साथ हमारा शताब्दियों का सम्बन्ध रहा है, जिनके इतिहास को हमने एक खास साँचे में ढाला है, जिनके भाग्यपथ को हमने बदला है, जिनके दिमागों पर हमने प्रभाव डाला है। इन प्रतिनिधियों और नरेशों के साथ हम स्वतन्त्रता के कार्य को विस्तृत करने में संलग्न होंगे जिससे **हम एक ही सम्राट की छत्र-छाया में रह स्वराज्य की स्वतंत्रता का आनन्द लें, जो आत्म-सम्मान और सन्तोष के लिये आवश्यक है।** मुझे एक वाक्य में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी है। यह बड़े खेद की बात है कि सलाह मशविरे से काम न लेकर शान्ति को भंग करने का

प्रयत्न किया जाता है। ये बातें शत्रुता पैदा करती हैं, हानि और कष्ट का कारण होती हैं और उन लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाती है जो अपने हक़ों को माँगते हैं, और उन लोगों के मार्ग में भी जो सहर्ष उन्हें देने के लिये तैय्यार हैं। ऐसी स्थिति में जो यहाँ सलाह मशविरा करने के लिये आये हैं वे भारत और ब्रिटेन दोनों के धन्यवाद के पात्र हैं।

मिस्टर मैकडानल के भाषण में रेखांकित शब्दों को पाठक गण ध्यान से देखें। बस वे ही सम्राट् की सरकार की प्रजा हितैषणा और भारतवासियों के दुर्भाग्य के बीच की खाई की गहराई को समझने में भाष्य का काम देते हैं। नरम दल के नेता इन्हीं शब्दों के धोखे में पड़ कर भारतवासियों को सन्तोष का पाठ पढ़ाते, और सत्याग्रहियों को जल्दबाज़ी की निन्दा करते हैं।

मिस्टर श्रीनिवास शास्त्री की सम्मतियों के प्रति हम आदर-भाव रखते हैं; वे त्यागी पुरुष हैं, परन्तु खेद है, उनका दृष्टि-कोण भी राष्ट्रीय भावों को हृदयंगम करने में असमर्थ रहा।

जीवन के संध्याकाल में मौलाना मुहम्मद अली को शायद महात्मा गांधी की अपेक्षा मिस्टर मैकडानल पर अधिक श्रद्धा हो गई थी। मौलाना साहब ने राजभक्ति के भी बड़ेही प्रशंसनीय उद्‌गार प्रकट किये। सम्राटज़ार्ज की ओर संकेत करते हुए आप ने कहा—चाहे आप उन्हें धर्मवतार कहिये या नहीं, वे भारत को अपने भूत और वर्तमान मन्त्रियों से ज़्यादा जानते हैं। मैं आशा से उनकी ओर निहार रहा हूँ कि वह ३२००००००० मनुष्यों के साथ, जो मनुष्य जाति का

एक पाँचवाँ ⅕ भाग है, न्याय करेंगे। मेरा विश्वास नरेशों की अद्भुत पंक्तियों को देखकर और पक्का हो रहा है।

अपनी कई बीमारियों और नरेशों की अपने प्रति उदारता का विवरण देने के बाद मौ० मुहम्मदअली ने कहा कि मैं अपने गुलाम देश को कभी न लौटूंगा जब तक आप मेरे हाथ में स्वतन्त्रता का सार न दीजियेगा अन्यथा आप को मुझे मेरी कब्र देनी होगी। खेद है, मौलाना की यह बात सत्य होकर रही।

आगे उन्होंने कहा—मैं लार्डअरविन की गवर्नमेन्ट से असहमत हूँ. उसका खरीता [Despatch] अत्यन्त निराशाजनक है। उन्होंने कहा सब से अच्छी बात है यह करसकते हैं कि अपने Dominion स्वयं बनाये ज़िन्दे आज यही देना चाहिये था बहुतेरे लोग अब भी भारत में जेलों में हैं मि० जैकर सर सप्रू और मैंने वाइसराय से और महात्मा गांधी से सन्धि कराने की कोशिश पर सफल न हुये। मुझे आशा है कि हम भारत को स्वतन्त्रता का सार लिये बिना नहीं लौटेंगे। मौलाना ने आगे कहा कि यद्यपि मैं पुराना असहयोगी हूं तो भी मैं हृदय, स्वभाव और लड़ाई में जवान हूं। मेरा भाई और मैं सब से पहले लार्ड रीडिंग द्वारा जेल में डाल दिये गये थे। मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, पर मैं शक्ति चाहता हूँ कि जब लार्ड रीडिङ्ग कोई ग़लती करें तो उन्हें जेल भेजदूं। मुझे डोमिनियन स्टेटस (औपनिवेशीक स्वराज) पर कोई विश्वास नहीं है। मैं तो पूर्ण स्वराज से बाध्य हूँ। यदि हम बिना किसी नवीन उपनिवेश के जन्म के साथ नहीं लौटते तो हम एक खोये हुये उपनिवेश को लौटते हैं; तब आप ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर नहीं परन्तु बाहर

एक स्वतन्त्र भारत का संगठितराष्ट्र और कुछ चीज़ और, सम्मिलित धर्म. देखेंगे

उन्होंने आवेशपूर्वक कहा कि मैं इंगलण्ड में एक आदमी पर बहुत भरोसा करता हूँ और वह है भली महारानी विक्टोरिया का नाती, जिसके समय में इतिहास में यह लिखा जावेगा— जार्ज तृतीय ने अमरीका खो दिया और जार्ज पञ्चम ने भारत को पुनः जीत लिया।

फ़ौज के सम्बन्ध में यह कहने के बाद कि ब्रिटेन का सब से भारी अपराध भारत को कमज़ोर बनाना है मौ० मोहम्मद अली ने ज़ोर के साथ कहा कि ऐसे ३२ करोड़ लोगों को मारना कठिन है जिन्होंने मरने की इच्छा पैदा करली है।

बस जिस समय हिन्दू–मुसलमानों ने आपस में मेल किया, जिसका उन्होंने इस समय संकल्प भी कर लिया है, उस समय अंगरेजी राज्य की भारत में इतिश्री अवश्यम्भावी है। परन्तु इसका अर्थ हमारी मित्रता का अन्त नहीं है।

मौ० मोहम्मद अली ने कहा कि अँगरेजों का हिन्दुस्तानी स्कूलों में दोषपूर्ण इतिहास पढ़ाना ही जाति-विच्छेद का कारण है। अब बहुमत के शासन का श्रीगणेश होने जा रहा है...।

मिस्टर चिन्तामणि भी नरमदल के एक नेता हैं। उनके व्याख्यान का निम्नलिखित अंश देखने योग्य है :—

यदि यह कानफ़रेंस भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती तो मैं भविष्य का ख़याल करते हुए काँपता हूं। वर्तमान सरकार की आधुनिक शासन-पद्धति अप्रतिष्ठित हो चुकी है। वर्तमान प्रणाली पर अवलंबित शासन का भारत में निश्चत रूप से अन्त हो गया है। एक ऐसी प्रणाली का जो

महात्मा गांधी और मदनमोहन मालवीय सरीखे सज्जनों को जेल में डाल कर चल रही है उसका नाश तो अवश्यम्भेव है। मुझे आशा है कि नीतिज्ञता, जो समझदारी की आँख कही गयी है इस संकट काल को टालने तथा इस प्रश्न को मैत्री भाव से हल करने की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करेगी। जिस प्रकार उस नगर में, जिसने मुझे गोद लिया है। अर्थात भारत का सर्वोत्तम नगर इलाहाबाद दो पवित्र सरितायें गंगा और जमुना एक दूसरे से गले मिलती हैं और एक धारा में प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मैं आशा करता हूँ अँगरेज और हिन्दुस्तानी, दोनों मानव जाति की उन्नति में योग देते हुए भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये ही नहीं वरन्तु समस्त संसार की उन्नति के लिये एक हो जावेंगे।

इसी तरह के अनेक मनोरंजक व्याख्यान हुए, ख़ूब दावतें हुईं, जलसों में ख़ूब गुलछर्रे उड़ाये गये और चलते वक्त इन आमोद-प्रिय प्रतिनिधियों ने समझा कि हमने इंग्लैण्ड से इतना काफ़ी वसूल कर लिया है कि भारतवर्ष कृतज्ञता के समुद्र में डूब जायगा।

गोल मेज परिषद् की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि उसके प्रतिनिधियों का निमंत्रण या तो अत्यधिक मूर्खता या अत्यधिक चतुरता के साथ किया गया था। वृटिश सरकार यह न समझे कि भारतवर्ष और इंग्लैड के बीच एक प्रकार का युद्ध छिड़ गया है और समझौता लड़ने वाले पक्षों ही में किया जाता है, यह सोचने का साहस नहीं होता। अतएव कांग्रेस

के नेताओं को परिषद् में जाने योग्य वातावरण उत्पन्न करने की पूरी पूरी कोशिश न करना और जिन लोगों में जनता की बिलकुल श्रद्धा ही नहीं रह गई है उन लोगों को आमंत्रित करके व्यर्थ ही भारतवर्ष के ग़रीबों की कमाई में से प्रायः साढ़े छः लाख रुपये स्वाहा कर देना चतुरतापूर्ण कार्य ही हो सकता है। इस चतुरता का उद्देश्य चाहे जो रहा हो, किन्तु हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार की चतुरता से काम न लेना पहले दर्जे की मूर्खता समझी जा सकती है। अतएव इस चतुरता के लिये हम ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। अस्तु।

गोल मेज़ परिषद् ने दो ढाई महीने के परिश्रम के बाद यह तय किया कि भारतवर्ष का विधान एक संयुक्त संघ का स्वरूप धारण करे, उसकी केन्द्रिक सरकार उत्तरदायित्व-पूर्ण हो और परिवर्तन काल के लिए कुछ ऐसे विशेष प्रबन्ध भी किये जायं जिनसे इस देश के भिन्न भिन्न पक्षों के हितों को कोई हानि न पहुँचे। मज़े की बात यह हुई की लार्ड रीडिंग ने उस 'डोमिनियन स्टेटस' शब्द तक का प्रयोग परिषद् की कार्य्यवाहियों में नहीं आने दिया जिसके लिए मिस्टर जयकर और सर सप्रू बड़े उत्साह के साथ लन्दन को पधारे थे। और सर सप्रू तो उदार ठहरे न! तुरन्त ही उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। गोल मेज़ परिषद् में सर सप्रू को जितनी सहानुभूति सरकारी पदाधिकारियों के प्रति जान पड़ती थी उतनी भारत के भूखे किसानों के प्रति नहीं। मौके बेमौके बेमतलब ही प्रधान मंत्री की उदारता के गीत गाना किसी कृपपात्र को भले ही शोभा दे, किन्तु स्वतंत्रता के

कामुक भारतवर्ष के प्रतिनिधि को नहीं। परन्तु हम भूलते हैं, सप्रू महाशय तो भारतवर्ष के प्रतिनिधि थे नहीं, वे तो सरकारी प्रतिनिधि थे। उस दृष्टि से उन्होंने जो कुछ किया अच्छा ही किया। जो हो औपनिवेशिक स्वराज्य की क़समें खाने वाले लन्दन में जाकर इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों की चालों की भंवर में ऐसे फँस गये, उनकी मीठी मीठी बातों में ऐसे बह गये, वहाँ के प्रीति-भोजों में ऐसे भूल गये कि उन्हें औपनिवेशिक स्वराज्य की भी याद नहीं रही।

भारत के राजाओं और महाराजाओं को इस संघ में शामिल करके अंगरेज राजनीतिज्ञों ने बहुत बड़ी चतुरता का काम किया है। सेना, अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध आदि रखने का अधिकार यदि वाइसराय के हाथ में रहे तो स्पष्ट है कि राजाओं-महाराजाओं की चोटी सरकार ही के हाथ में रहेगी और इस स्थिति में उनका संघ में प्रवेश केवल सरकार ही का बल बढ़ावेगा। पता नहीं, नरम दलिया नेताओं ने यह बात क्यों नहीं सोची और अगर सोची तो क्या उन्हें विश्वास है कि जब ख़ास ख़ास मौके आवेंगे तब राजे महाराजे सरकार का पक्ष त्याग कर प्रजा के पक्ष का समर्थन करने का साहस दिखावेंगे?

प्रान्तीय सरकारों के साथ साथ केन्द्रिक सरकार भी उत्तरदायित्वपूर्ण बनायी गयी है। वाइसराय की कार्य्यकारिणी गोलमेज़ परिषद् की तजवीज़ के अनुसार समिति के नौ मंत्री होंगे जिनमें से केवल दो व्यवस्थापिका सभा के शासन से मुक्त होंगे—सेना और परराष्ट्र सम्बन्ध के। बात बहुत ज़रा सी है, लेकिन इतनी ही सी बात ने ऐसा कमाल कर दिया है कि कहने को तो भारतवर्ष को स्वराज्य

दे दिया गया है और वास्तव में केवल मज़ाक किया गया है क्योंकि उस स्वराज्य को लेकर भूखा भारतवासी क्या कर सकेगा जिसके रहते हुए भी अपना पेट काटकर उसे ५५ करोड़ रुपये सैनिक व्यय के लिए देने ही पड़ेंगे, जिसके रहते हुए भी उसके धन जन का उपयोग अन्य देशों को, केवल इंग्लैंड के हित की दृष्टि से, कुचलने में किया जायगा। यह स्वराज्य तो नरमदलिया नेताओं का स्वराज्य हो सकता है, क्योंकि उनकी बेकारी कटेगी और उन्हें मोटी मोटी तनख़ाहें मिलेंगी। लेकिन ग़रीब किसान का इस स्वराज्य से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सैनिक काम की पूर्ति और अँगरेज़ी साम्राज्यवाद के पिपासा-शमन के निमित्त उस बेचारे को तो पूरा लगान देना ही पड़ेगा।

नरमदलिया नेताओं के स्वराज्य की एक बानगी और देखिए। कहा जाता है कि केन्द्रक सरकार का अर्थ-विभाग भी व्यवस्थापिका सभा के शासन में रहेगा, केवल कभी कभी वाइसराय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यह 'कभी कभी' का मौक़ा कब आवेगा, उसे भी सुन लीजिए। जब रुपये की कमी हो जायगी और अर्थ-सचिव को बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार लेने के लिए विवश होना पड़ेगा, तब वाइसराय महाशय अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे और नया टैक्स लगाये जाने की अनुमति दिया करेंगे।

हमारे सर तेज बहादुर सप्रू तो मिस्टर मैकडानल्ड के पक्के शिष्य बन गये! इतना बड़ा भारत-हितैषी और उसके साथ सहयोग करने से इनकार! कितना अधम कार्य है! बढ़िया स्पीचें फटकारना और विशेष मनोवियोग के साथ ब्रिटिश

राजनीतिज्ञों के गीत गाना ही आपने अच्छा समझा। आप अनेक बातों में तो इतने उदार दृष्टि कोण वाले बन गए कि बस कुछ पूछिये मत एक ओर गांधी जी और कांगरेस वाले अपराधी समझ पड़ने लगे तो दूसरी ओर महा-सभा के नाम से बोलने वाले। सबसे अधिक राष्ट्रीय और निष्पक्षपात निकले केवल सर तेजबहादुर सप्रू! आप के भाग्य की भी प्रशंसा ही करनी पड़ती है। क्योंकि आपने जो कुछ स्कीम पेश करदी उसे लार्ड रीडिंग और मिस्टर मैकडानल्ड ने तुरन्त ही स्वीकार कर लिया है। ऐसी किस्मत है किसी कांग्रेस वाले की? तमाम उम्र भर तकलीफें भोग कर लोकमान्य, तिलक, देशबंधु दास मर गये, लाला लाजपत राय लाठी की चोटें खाकर परलोक बासी हो गये, त्यागमूर्ति पं० मोती लाल नेहरू क़ैद खाने में जाकर उस बीमारी के शिकार हुए जिसने भारतवर्ष और आनंदभवन को सदा के लिये सूना कर दिया, महात्मा गांधी को भी फ़क़ीरी धारण करनी पड़ी, किन्तु सरतेज बहादुर सप्रू ने सेंट जेम्स पैलेस में आराम से घिरे रह कर ज्यों तजवीज़ पेश की त्यों वह मंज़ूर हो गई! अब इतने पर भी कोई इनकी तक़दीर पर सन्देह करे तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा?

सप्रू महाशय हिन्दुओं के भी बड़ी हित-रक्षक हैं। साम्प्रदायिक नेताओं की संकीर्णता की निन्दा करना एक बात है और मुसलमानों की प्रत्येक माँग के सामने सिर झुकाते जाना दूसरी बात। यदि सप्रू महाराज हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता से ऊचे उठ कर बहुत अधिक उदार होने का ढोंग रचते हैं तो उन्हें यह उदारता उस समय सर्वथा न भुला देनी चाहिए जब मुसलमानों की मांगें न केवल अनावश्यक

हों बल्कि राष्ट्रीयता को बिल्कुल विरोधी होकर औचित्य की समस्त मर्य्यादाओं का उल्लंघन करें। कलकत्ते की कांगरेस के समय सन् १९२८ में सर्वदल सम्मेलन में भाषण करते हुए आप ने मिस्टर जिन्ना को spoilt child बताया था और बड़े फ़ख के साथ कहा था कि give him what he wants and be finished withit etc. अर्थात जो कुछ वह चाहते हैं उसे देकर मामला ख़तम करो। और इसी तरह लन्दन में भी आपने फ़रमाया कि मुसल्मानों और अछूतों को पूरा सन्तुष्ट किये बिना औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं हो सकता। बहुत सही। यह कोई नहीं कहता कि स्वराज्य में किसी के भी उचित अधिकारों की उपेक्षा हो। मुसलमान हमारे भाई हैं, अछूत भी हमारे भाई हैं, हम स्वयं पराधीन रह कर इन लोगों के कष्टों के कारण बनते आये हैं, किन्तु स्वतंत्र होने पर जब हमारी बुद्धि का प्रकाश अज्ञान को नष्ट कर देगा तब हम दब कर नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से यह चाहेंगे कि हमारे सभी भाई सुशिक्षित हों और शासन-पद्धति के कार्यों में पूरा पूरा भाग लें। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम मुसलमानों की उस प्रवृत्ति को उत्साहित होने दें जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीयता की विरोधिनी है, देश-कल्याण की घातक है। सप्रू महोदय के इस चारो खाने चित्त होने की अपेक्षा तो हम महात्मा जी के उस वीरोचित त्यागभाव की प्रशंसा करते हैं जिसे सामने रख कर वे कहते हैं कि मुसल्मान ही भारत वर्ष के शासन की बागडोर अपने हाथों में लें और यदि उसमें त्रुटियाँ होंगी तो सत्याग्रह द्वारा हम उन्हें भी दूर कर देंगे। अस्तु।

गान्धी इर्विन समझौता

गोल मेज़ परिषद् के समाप्त होने पर कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य गण छोड़ दिये गये और महात्मा गांधी तथा वाइसराय में सन्धि की चर्चा शुरू हुई। इस बार यह बात चीत सफल हुई और जिन शर्तों पर शान्ति स्थापित हुई वे निम्न लिखित हैं—

(१) श्रीमान् वायसराय और महात्मा गांधी में जो बातचीत हुई थी उसके फल स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि सविनय अवज्ञा बन्द कर दी जाय और ब्रिटिश सरकार की अनुमति से भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें भी कुछ विशिष्ट कार्य करें।

(२) भावी भारत-शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की अनुमति से प्रकाशित किया जाता है कि भावी विचार के विषय भारतीय शासन की योजना पर, जिसपर गोलमेज़ कानफरेन्स में विचार हुआ था, और भी विचार किया जायगा। जो योजना वहां बनाई गयी है उसका मुख्य अंग संयुक्त शासन है, उसी प्रकार भारत-रक्षा, परराष्ट्र-विषय, अल्पसंख्यकों के स्थान, भारत की आर्थिक साख और ऋण चुकाने के सम्बन्ध में संरक्षित अधिकार भी उसके वैसे ही महत्व के अंग हैं, और इन संरक्षणों का उद्देश्य भारत का ही हित है।

(३) १६ जनवरी को लन्दन में प्रधान मन्त्री ने जो भाषण किया था उसके अनुसार भावी शासन के सम्बन्ध में जो और

विचार होंगे उनमें कांग्रेसवालों के शामिल होने की भी व्यवस्था की जायगी।

सविनय अवज्ञा

(४) इस समझौते का संबन्ध सविनय अवज्ञा से सम्बद्ध कार्यों से है

(५) सविनय अवज्ञा बिलकुल बन्द कर दी जायगी और सरकार भी तदनुरूप कार्य करेगी। सविनय अवज्ञा के बिलकुल बन्द किये जाने का अर्थ यह है कि उसके चलने के लिये जो सब कार्य किए जाते थे वे और खास करके नीचे लिखे कार्य बन्द किये जायँगे—

(अ) किसी कानून का संघटित रूप से विरोध करना

(क) लगान तथा अन्य स्थानीय कर न देने का आंदोलन।

(ख) सविनय अवज्ञाका समर्थन करने के लिये साइक्लोस्टाइल पर पर्चे निकालना

(ग) फौजी या मुलकी नौकरों या ग्राम कर्मचारियों को सरकार के विरुद्ध उभारना या नौकरी छोड़ने की सलाह देना।

(६) विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के संबंध दो मुख्य बातें हैं, एक तो बहिष्कार से रहा है, और राजनीतिक दबाव डालने के लिये ऐसा किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि इस प्रकार का बहिष्कार करते रहना और भावी शासन के सम्बन्ध की उस स्पष्ट और मित्रता पूर्ण बातचीत में कांग्रेस का शामिल होना उपयुक्त न होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत, देशी राज्य, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

अतः यह निश्चय हुआ कि सविनय अवज्ञा के बन्द किये जाने का अर्थ राजनीतिक हेतु से किये जाने वाले ब्रिटिश माल के बहिष्कार का भी उठा लेना है अतः जिन लोगोंने राजनीतिक उत्तेजनाके समय ब्रिटिश माल की खरीद बिक्री बन्द की थ उन्हें यदि वे चाहें तो पुनः वह काम करने की स्वतंत्रता बेरोक-टोक दी जाय।

पिकेटिंग की शर्तें

(७) विदेशी माल की जगह स्वदेशी माल का प्रचार करने और मादक पदार्थों का प्रचार रोकने के लिये ऐसी पद्धति से काम न लिया जायगा जो पिकेटिंग कहलाती है, पर वह पद्धति यदि मामूली कानून के विरुद्ध न हो तो उसमें आपत्ति न होगी। इस पिकेटिंग में किसी तरह की ज़ोर जबरदस्ती न हो दबाव धमकी, बाधा, विरोधक प्रदर्शन लोगों के मामूली काम-काज में रुकावट अथवा मामूली क़ानून के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई न होगी। जब कभी कहीं पर ऊपर लिखे उपायों से पिकेटिंग की जायगी तो वहां वह रोक दी जायगी।

पुलीस का अत्याचार

(८) महात्मा गांधी ने पुलिस के अत्याचारों के विशेष उदाहरणों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और उसकी जाँच करने की आवश्यकता बताई। वर्तमान स्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई मालूम होती है क्योंकि इससे एक दूसरे पर तरह तरह के जुर्म लगाये जायंगे, तथा इससे शान्त वातावरण उत्पन्न करने में बाधा होगी। इन बातों का विचार कर के महात्मा गांधी ने भी इस पर ज़ोर न देना मंजूर किया।

सरकार क्या करेगी

(९) सविनय अवज्ञा बन्द की जाने पर जो काम सरकार करेगी उसका उल्लेख परवर्ती खंडों में किया जाता है।

(१०) सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स बनाये गये थे वे रद्द कर दिये जायँगे

(११) क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार संस्थाओं के गैरक़ानूनी करार देने के लिये जो घोषणाएं की गयी थीं, यदि वे सविनय अवज्ञा के ही संबन्ध में हों तो वे रद्द कर दी जायगी।

हाल में बर्मा सरकार ने इस क़ानून के अनुसार जो घोषणाएँ की हैं उनका समावेश इसमें नहीं होता।

(१२) (अ) विचाराधीन मुक़द्मे उठा लिये जायंगे, अगर वे सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में हों और उनका सम्बन्ध तात्विक हिंसा छोड़ कर प्रकृत हिंसा से, अथवा हिंसा के लिये उत्तेजना देने से न हो।

(क) ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अनुसार ज़मानत के जो मुकद्मे चलाये गये हैं उन पर भी यही नियम लागू होगा।

(ख) सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में यदि किसी प्रांतीय सरकार ने किसी वकील मुख़्तार के ख़िलाफ़ लीगल प्रेक्टीशनर्स एक्ट के अनुसार मुक़द्मा दायर किया हो या हाईकोर्ट से ज़ाब्ते की कारर्वाई करने की प्रार्थना की हो तो वह उस मामले को उठा लेने की अनुमति माँगेगी, बशर्ते कि मामले का सम्बन्ध हिंसा के लिये उत्तेजना से न हो।

(ग) किसी सैनिक या पुलिस पर अवज्ञा के लिये मुकदमा किया जाता हो तो उसका समावेश इस नियम में न होगा।

(१३) (अ) जो लोग सविनय अवज्ञा के कारण, जिसका संबंध हिंसासे नहीं है, जेल गये हैं वे सब छोड़ दिये जायँगे।

(क) जिन्हें जेलके भीतर कोई अपराध, जो हिंसा नहीं है, करने के कारण दण्ड मिला है अथवा जिन पर ऐसे अपराध के मामले दायर हैं उनका वह दंड भी रद्द कर दिया जायगा और मुक़दमा उठा लिया जायगा।

(ख) जिन सिपाहियों या पुलिसवालों को अवज्ञाके लिये दण्ड मिला है, उनका समावेश इस नियम में न होगा।

जुरमाना

(१४) जो जुरमाने अभी वसूल नहीं हुए हैं वे छोड़ दिए जायँगे। अगर जमानत ज़ब्त करनेकी आज्ञा हुई हो और ज़मानत वसूल न हो गयी हो तो वह भी छोड़ दी जायगी। जुरमानों और ज़मानतों की रक़में अगर वसूल हो गई हों तो वे लौटाई न जायँगी।

ज़्यादा पुलिस

(१५) किसी जगह अगर वहां रहनेवालों के ख़र्च पर, सविनय अवज्ञाके संबंध में, ज़्यादा पुलिस नियुक्त की गई हो तो प्रांतीय सरकार की इच्छानुसार वह उठा ली जायगी। जो रक़म वसूल हो चुकी है वह अगर खर्च से ज़्यादा न हो तो प्रांतीय सरकार उसे न लौटावेगी पर जो वसूल नहीं हुई है वह छोड़ दी जायगी।

(१६) (अ) चल सम्पत्ति, जो ग़ैरक़ानूनी तौर पर नहीं ली गई है, और जिस पर काले क़ानूनों या अन्य फ़ौजदारी क़ानूनों से क़ब्ज़ा किया गया है, वह अगर अब भी सरकार के क़ब्ज़े में है, तो लौटा दी जायगी।

(क) भूकर अथवा अन्य सरकारी पावने के लिये जो चल सम्पत्ति सरकार ने ली है, वह लौटा दी जायगी, बशर्तें कि उस जिले के कलक्टर को यह सन्देह न हो कि वह आदमी उचित समय के भीतर अपना देना अदा करने से दृढ़ता पूर्वक इनकार करेगा।

'उचित समय' का विचार करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जायगा कि कोई आदमी वस्तुतः अपना देना चुकाना चाहता है, पर इसके लिए समय की आवश्यकता है। जरूरत हुई तो भूकर सम्बन्धी साधारण नीति के अनुसार उसकी वह रकम कुछ समय के लिए स्थगित भी की जायगी।

(ख) जो सम्पत्ति रखी रखी ख़राब हो गई हो, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा।

(ग) अगर सरकार ने चल सम्पत्ति बेच डाली हो या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर डाली हो तो उसके लिए न हरजाना दिया जायगा, न उसके लिए मिली हुई रकम ही लौटाई जायगी, बशर्ते कि वह रक़म सरकारी पावने से ज़्यादा न हो।

(घ) अगर कोई आदमी समझे कि उसकी सम्पत्ति ग़ैर-क़ानूनी तौर से ली गई है तो वह मामूली क़ानूनी काररवाई कर सकता है

(१७) (अ) सन् १९३० के नवें आर्डिनेन्स के अनुसार जिस अचल सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा किया गया है वह उसी आर्डिनेन्स के अनुसार लौटा दी जायगी।

(क) भूकर अथवा अन्य क़ानूनी पावने के लिए जिसकी ज़मीन या अन्य अचल सम्पत्ति ज़ब्त की गई है या क़ब्ज़े में ली गई है, वह सरकार के ही पास हो तो लौटा दी जायगी, बशर्तें कि ज़िले के कलेक्टर को यह संदेह न हो कि वह आदमी अपना देना उचित समय के भीतर चुकाने से दृढ़तापूर्वक इनकार करेगा।

'उचित' समय का बिचार करते समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि आदमी वस्तुतः देना चुकाना चाहता है पर कठिनाई के कारण चुका नहीं सकता और इसके लिए मुहलत की ज़रूरत है, तो उसका कर साधारण नीति के अनुसार कुछ समय के लिये स्थगित भी हो जायगा।

(ख) अगर अचल संपत्ति तीसरे आदमी के हाथ बेच डाली गई हो तो, जहां तक सरकार का संबंध है, वही बिक्री आख़िरी समझी जायगी।

नोट—महात्मा गांधी का कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार इस तरह की कई बिक्रियां ग़ैरक़ानूनी और अन्यायपूर्ण हैं, पर जानकारी के अनुसार ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है।

(ग) अगर कोई समझता हो कि सम्पत्ति ग़ैर कानूनी तरीक़े से ज़ब्त की गयी है तो उसे क़ानूनी कारवाई करने की स्वतंत्रता होगा।

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं, जहां सरकारी पावना क़ानूनी तरीक़े से वसूल नहीं किया गया है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो उसका प्रतिकार करने के लिये प्रान्तीय सरकारें डिस्ट्रिक्ट अफ़सरों को आज्ञा देंगी कि इस तरह की शिकायत पाते ही विना बिलम्ब उसकी जांच करावें और जहां शिकायत ठीक साबित हो वहां विना विलम्ब प्रतिकार करें।

फिर से नौकरी

(१६) पदत्याग के कारण जो स्थान ख़ाली हुए थे उनपर अगर अन्य कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त किए जा चुके हों तो पुराने कर्मचारी को फिर से नियुक्त करना सरकार के लिए संभव न होगा। अन्य प्रकार के मामलों पर प्रान्तीय सरकार विचार करेगी और पुराने कर्मचारियों को, जो पुनः नियुक्ति के लिये दरखस्त करेंगे, फिर से उनके स्थान देने में उदारता से काम लेगी।

नमक क़ानून

(२०) नमक के सम्बन्ध में वर्तमान कानून का तोड़ा जाना सरकार सहन नहीं कर सकती। देश की वर्तमान दशा में वह नमक क़ानून में अधिक और व्यापक परिवर्तन भी नहीं कर सकती। पर कुछ ग़रीब श्रेणियों के लोगों को वह वैसी ही सुविधा देने को तैयार है जैसा कहीं कहीं दिया भी गया है, यानी जो गाँव ऐसी जगह हों जहां नमक पैदा होता है वहांके अधिवासी अपने खाने के लिये नमक बना और बेच सकेंगे, पर उन गाँवों के बाहर के लोगों को बेच न सकेंगे।

(२१) अगर इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने काम न किया तो जनता और व्यक्तिओं की तथा अमन कानून का रक्षा के लिये जो आवश्यक समझा जायगा वह काम सरकार करेगी ।

लार्डइर्विन और महात्मा गांधी के इस समझौते का कांग्रेस की कार्यसमिति ने समर्थन किया है । इसके सम्बन्ध में उसका प्रस्ताव निम्न लिखित है: —

कार्य समिति का प्रस्ताव

"भारत सरकार और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने जो समझौता किया है उसकी शर्तों पर विचार करके कार्य-समिति इन्हें स्वीकार करती है और सब कांग्रेस कमेटियों को आदेश करती है कि तुरन्त उनके अनुसार कार्य करें ।

"समिति आशा करती है कि जहां तक कांग्रेस के विविध कार्यो का सम्बन्ध है, देश स्वीकृत शर्तो की तामील करेगा और उसका मत है की कांग्रेस की ओर से जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं उनका पूर्ण रूप से पालन होने पर ही भारत का पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ना अवलम्बित है ।

इस प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के सेक्रेटरी ने निम्नलिखित सूचना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के नाम निकाल कर सब से सब से समझौते की शर्त्तों का पालन करने का अनुरोध किया ।

कांग्रेस की ओर से कार्य समिति और भारत सरकार में जो अस्थायी समझौता हुआ है उसके अनुसार मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रान्त की सब कांग्रेस कमेटियों को फौरन सूचित करदें कि वे उस समझौते के अनुसार काम करें । सत्याग्रह और करबन्दी के आन्दोलन बंद कर देने होंगे और कानूनों की अवज्ञा अब न की जायगी ।

ब्रिटिश सरकार और भारत का समझौता।

ब्रिटिश माल का बहिष्कार इस रूप में बन्द कर दिया जाय और इस विषय में लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय। पर नशीली चीज़ों, सब तरह के विदेशी कपड़े और ताड़ी शराब की दूकानों के बहिष्कार की इजाज़त रहेगी और जहां आवश्यकता हो किया जाय। पर इस पिकेटिंग में ज़ोर ज़बर्दस्ती न होनी चाहिये। दबाव, धमकी, बाधा, विरोधमय प्रदर्शन, लोगों के आने जाने, काम काज में रुकावट या ऐसी कोई बात उसके साथ न होनी चाहिए जो मामूली क़ानून के अनुसार जुर्म हो।

जिस स्थान में इन शर्तों को पाबन्दी न हो वहां पिकेटिंग रोक देनी होगी। सम्पूर्ण विदेशी वस्तुओं के बदले लोगों से स्वदेशी वस्तुएं काम में लाने का आग्रह यथापूर्वक करते रहना होगा।

नमक कानून की संघटित अवज्ञा और धावे न किए जायंगे परंतु जिन स्थानों में नमक बटोरा अथवा बनाया जाता है वहां के निवासियों को घर के खर्चा अथवा आस पास वालों के हाथ बेचने के लिए नमक बटोरने और बनाने की इजाजत रहेगी, पर बाहर वालों के हाथ ऐसा नमक बेचा न जासकेगा।

साइक्लोस्टाइल पर छाप कर निकाले जाने वाले गैरकानूनी परचे (अनथराइज्ड़ न्यूजशीट) बन्द कर दिए जायं।

किसान और जमींदार मालगुजारी अदा करने की तैयारी करें और जो लोग घर छोड़ कर कहीं चले गये हों वे लौट आवें। जोलोग अदा करने में असमर्थ हों या अधिक आर्थिक कष्ट में हों वे मालगुजारी माफ या मुलतबी करने के और उपायों से काम लें।

गिरीश-रचित अन्य ग्रंथ

[जो छप रहे हैं]

१—चसका [उपन्यास]

२—महाकवि हरिऔध की कला } आलोचनात्मक ग्रंथ

३—पद्मा [उपन्यास]

४—बहता पानी [उपन्यास]

५—गुंजार [कविताओं का संग्रह]

पत्र व्यवहार का पता:—

अरुणोदय-कार्य्यालय,

दारागंज, प्रयाग,

गिरीश कृत मनोहर प्रकाशित ग्रन्थ

१—बाबू साहब २)

गिरीश जी एक सफल कहानी लेखक हैं। आप की कहानियां समाजिक पत्र पत्रिकाओं में बड़े गौरव के साथ छपती और चाव से पढ़ी जाती हैं।

बाबू साहब की भाषा सरल है, माधुर्य-पूर्ण हे। मानष-चरित्र की दुर्बलता के खुले मुंह का स्वाभाविक सौन्दर्य बड़े मनो मोहक ढंग से इस ग्रन्थ में अंकित किया गया है—**भारत**

२—पाप की पहेली १)

गिरीश जी की यह समाजिक कहानी बड़ी ही रोमांचकारी हृदय ग्राही और शिक्षाप्रद हुई है। प्लाट भी बड़ी खूबी से बाँधा गया है अंत में ही भेद खुलता है और पुस्तक समाप्त किये बिना चैन नहीं मिलता—**भारत**

३—प्रेम की पीड़ा ॥)

इस मनोहर पत्रमय उपन्यास की भाषा अत्यन्त सरल, भाव स्वच्छ, और विरह-कथा बड़ी मीठी है।

४—रसाल बन ॥)

स्त्रियों के लिए सामाजिक, तथा साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी—महारानी अयोध्या

५—जगद्गुरु का विचित्र चरित्र ॥)

हास्य और व्यंग जैसे परिष्कृत रूप में इस पुस्तक में प्रयुक्त हुआ है वैसा हिन्दी में अन्यत्र हम नहीं देख सके हैं।

बाबू रामकुमार वर्मा एम० ए०

मुद्रक—बाँकेलाल शर्म्मा, इलाहाबाद प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद